सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना

(2002-2007)

जनपद- आजमगढ़

अनुक्रमणिका

क.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1	1	परिदृश्य	02-04
2	2	जनपद का शैक्षिणिक परिदृ य	05-16
3	3	नियोजन प्रकिया	17-32
4	4	सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	33-36
5	5	समस्यायें एवं रणनीतियां	37-38
6	6	शिक्षा की पहुँच का विस्तार	39-43
7	7	शिक्षा की पहुँच का विस्तार	44-48
8	8	भौतिक सुविधायें	49-68
9	9	गुणवत्ता सम्वर्द्धन	69-115
10	10	परियोजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण	116-138
11	11	परियोजना लागत	139-144
12	12	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2003–04	145-146

अध्याय–१क

–: परिदृश्य :–

आजमगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। जनपद का पूरब–पश्चिम दिशा में विस्तार 75 किमी0 तथा उत्तर –दक्षिण दिशा में 85 किमी0 है। जनपद की सीमाए पूरब में जनपद मऊ, दक्षिण–पश्चिम जौनपुर, उत्तर दिशा में जनपद गोरखपुर और अम्बेडकर नगर अवस्थित है। दक्षिण पूरब में गाजीपुर तथा पश्चिम में सुल्तानपुर जनपद स्थित है। आजमगढ़ शहर तमसा नदी से तीन दिशाओं से घिरा है। जनपद के उत्तर दिशा में घाघरा तथा छोटी सरयू नदियॅा भी इस जनपद का क्षेत्रफल 4234 वर्ग किमी0 है। जनपद की भूमि सामान्यतया समतल है तथा पूरब की तर थोड़ी–सी ढ़लान है।

जनपद में बलुई, दोमट,काली तथा उसरीली मिटटी पाई जाती है।उ0प्र0में उसरीली भूमि के मायने में जनपद–आजगढ़ प्रथम स्थान पर है। सामान्यतया जनपद का अधिकांश तापमान 47 डिग्री सें0 तथा न्यूनतम 8 डिग्री से0ग्रे0 रहता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:–

आजमगढ़ जनपद की सभ्यता एवं संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है,। जनपद में कुछ प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है जैसे दुर्वासा आश्रम, कण्ड आश्रम तथा दत्तात्रेय आश्रम स्थित है। जनपद के उत्तर–पश्चिम में प्रसिद्ध धार्मिक स्थलअयोध्या स्थित है। जनपद के दक्षिण पूर्व महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी काशी स्थित है, जिसे स्पर्श करती हुई गंगा नदी बहती है। काशी अयोध्या अथवा अयोध्या से काशी जाने वाले तीर्थयात्री दुर्वाषा तथा दत्तात्रेय जैसे पवित्र स्थानों पर साधु संतों के साथ अपने धार्मिक विचारों का आदान–प्रदान करते थे। मध्यकाल में राजभर तथा राजपूत राजाओं ने इस जनपद में शासन किया। कुछ समय तक यह क्षेत्र तुर्को एवं छोटे राजपूत राजाओं के शासन में रहा जो आपस में संघर्ष करते रहे। 1765पूर्व आजमगढनाम का कोई शहर या रियासत नहीं थी। फिरोजशाह के समय

में इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए जौनपुर को इस राजधानी बनाया था। मुगल साम्राज्य में यह जनपद जौनपुर सूबे के अन्तर्गत था। इस समय आजमगढ़मेंहनगर रियासत का एक हिस्सा था, जो पश्चिम से माहुल से पूरब में,बक्सर तथा दक्षिण में लालगंज से उत्तर सरयू नदीतक फैली थी। इस क्षेत्र के प्रसिद्व राजा, राजा हरबंश सिंह थे जो राजनैतिक दबाव के कारण इस्लाम धर्म स्वीकार कर लियाथे राजा हरवंश सिंह के पौत्र आजमशाह केनाम पर ही इस शहर का नाम आजमगढ़ पड़ा था। राजा हरबंश सिंह मेंहनगर में एक विशाल किले का निर्माण कराया। साथ ही किले से 1किमी0 दक्षिण में एक विशाल तालाब(हरीबांध) बनवाये थे। राजा हरवंश सिंह की पत्नी रानी रतन जाट हिन्दूधर्मनहीं त्यागी तथा सेठवल के समीप अलग रहने लगी जो बाद में रानी की सराय नाम से प्रसिद्व हुआ। जनपद आजमगढ़ में महान विद्धान राहुल सांस्कृत्यायन, कवि अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय ''हरिऔध''शायर श्री कैफी आजमी प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री शबाना आजमी, त्रिनिदाद के प्रधानमंत्री श्री बासुदेव पाण्डेय तथा भीखादास आदि पैदा हुए। अतरौलिया में प्रसिद्ध गोविन्द साहब का मेला नवम्बर तथा दिसम्ब के महीने में लगता है।

वर्ष 1989 में मऊ, आजमगढ़ से अलग होकर एक नया जनपद बना। वर्ष 1994 में आजमगढ़ राज्य का चतुर्दश मण्डल घोषित किया गया।

प्रशासनिक ढांचा:–

आजमगढ़ जनपद सात तहसीलों तथा 22 विकासखण्डों में विभाजित है, जहां 280 न्याय पंचायतें तथा 1628 ग्रामसभायें है। जनपद में कुल 3721 राजस्व ग्राम हैं जिसमें 412 गैर आवाद है। जनपद में दो नगरपालिकायें– आजमगढ तथा मुबाकरपुर–11 टाउन एरिया–बिलरियागंज, महराजगंज, जीयनपुर, अतरौलिया, फूलपुर, सरायमीर, निजामाबाद,लालगंज,मेहनगरअजमतगढ़ तथा अमिलों है। जनपद का प्रशासन जिलाधिकारी के अधीन होता है। परियोजना निदेशक मुख्य विकास अधिकारी की सहायता करता है। खण्ड विकास अधिकारी सामान्यतया विकास खण्ड

के सभी विकास कार्यो के लिए उत्तरदायी होता है।विकास से जुड़े सभी विभागों के कार्य जिला रतर के अधिकारियों द्वारा सम्पादित होता है।

सारणी–1

प्रशासनिक संरचना–

कमांक	निवरण	संख्या
1.	तहसील	07
2.	विकास खण्ड	22
3.	न्याय पंचायत	280
4.	ग्रामसभायें	1628
5.	बस्तियाँ	3721
6.	नगरपालिका	02
7.	टाउन एरिया	11

स्रोतः– जनपद सांख्यिकी 1998

जनसंख्याः–

वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार जनपद आजमगढ़ की कुल जनसंख्या 3153885 है। जिसमें 1571593 पुरूष हैं, और 1882292 महिलायें हैं। ग्रामीण क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2928166 है जिसमें 1453543 पुरूष तथा 1474623महिलायेंहैं तथा नगरीय आवादी 225719 है जिसमें 118050 पुरूष तथा 107669 महिलायें हैं। अनुसूचित जाति की कुलआबादी 807612 है जो सम्पूर्ण जनसंख्या की 25.6 प्रतिशत है। जनपद में कुल 410333 मुस्लिम आबादी है जो कुल आबादी का 13 प्रतिशत है।

जनसंख्या 2001

पुरुष	महिला	योग
1949827	2000981	3950808

सारणी- 1.1

क्रम	विकास खण्ड का नाम	1991 की जनसंख्या						2001 की जनसंख्या (अनुमानित)					
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु0 जाति जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	अतरौलिया	59596	58555	118551	13249	13663	26912	71515	70266	141781	14900	16398	32298
2.	कोयलसा	66921	65605	132527	14534	15000	29534	80305	78727	159032	17440	18000	35440
3.	अहरौला	73036	73000	146036	16316	16763	33079	87645	87600	175243	19579	20115	39694
4.	महराजगंज	67089	65597	132686	14568	14008	29376	80506	76717	157223	17481	16809	34290
5.	हरैया	67614	67805	135419	16159	16764	32923	81136	81366	162502	19390	20116	39506
6.	बिलरियागंज	83877	84104	137981	23545	24304	47849	100652	10092	201573	28251	29166	57417
7.	अजमतगढ़	75555	76856	152411	18749	19236	37985	90666	92227	182893	22500	23082	45542
8.	तहबरपुर	61470	62089	123559	14836	15406	30242	73764	74506	148270	17802	18581	36383
9.	मिर्जापुर	68467	70545	135010	17139	18127	35266	8217	84651	166811	20568	21750	42318
10.	मोहम्मदपुर	64082	66249	130331	18045	19374	33419	76898	99498	156396	31614	33250	44904
11.	रानी की सराय	61540	61999	123539	17271	18449	35720	73848	74598	148246	20724	21900	42624
12.	पल्हनी	67719	63888	132607	15478	14826	30304	81263	76668	157931	18573	17790	36366
13.	सठियांव	73994	70433	144427	19598	18974	38572	828794	84522	173316	23517	22770	46287
14.	जहानगंज	61437	62308	123745	108595	19622	38217	73724	74769	148493	22314	23544	55858
15.	पवई	71613	70989	142602	16636	17381	34017	85935	85188	171123	19962	20856	40818
16.	फूलपुर	65773	67497	133370	15349	16405	31754	79045	80996	160043	18420	19686	38106
17.	मार्टीनगंज	61580	66209	127789	12944	14682	27626	73896	79450	153546	15534	17616	33150
18.	ठेकमा	68011	73128	141139	25568	28854	54422	81613	87753	169366	30684	34624	65308
19.	लालगंज	77166	63658	107824	24349	26899	51248	92599	10038	192988	29219	32280	61499
20.	मेहनगर	79259	83302	162561	25566	27537	53103	951110	99962	195072	30677	33042	63719
21.	तरवाँ	76644	80408	157052	21387	22547	43734	91534	96485	188019	25662	27060	52722
22.	नगर क्षेत्र	118050	107669	225719	14649	13461	28110	141660	129204	270864	17580	16152	33732
23.	पल्हना नवीन	2001 से	प्रारम्भ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	1571593	5582292	3153885	3944030	413080	707612	1800928	1827816	3628744	491014	510739	1001753

नोट : विकास खण्ड पल्हना की सूचना विकासखण्ड लालगंज, मेहनगर तथा तरवां में सम्मिलित है।

स्रोत : जनपद साख्यिकी 1998

(4-A)

अध्याय–2

जनपद का शैक्षणिक परिदृश्यः–

इस जनपद में अप्रैल 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0इ0पी0)परियोजना चल रही है। जिससे शिक्षा की पहुँच का विस्तारठहराव गुणवत्ता में वृद्वि प्रबन्धन क्षमता में विकास के उद्देश्य रखे गये हैं। जिसका लाभ जिलेकी शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने में मिल रहा है।इसे परियोजना में सभी वर्गो का शतप्रतिशत नामांकन ठहराव एंव गुणवत्तामें समुचित वृद्वि का लक्ष्य रखा गया है। 1991 की जनगणनाके अनुसार जिले की साक्षरता दर 39.2प्रतिशत थी। पुरुष की 56.1 तथा महिला की 22.7 प्रतिशत साक्षरता दर थी ।

साक्षरता दर प्रतिशत में
सारणी 1.2

क0सं0	विवरण	कुल साक्षरता	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता
1	ग्रामीण	37.7	55	20.8
2	नगरीय	58.9	68.9	47.8
	योग	39.2	56.1	22.7

स्रोत–सांख्यिकी तालिका 1999

विकासखण्डवार साक्षरता का स्तर

क.सं.	विकासखण्ड का नाम	साक्षर			साक्षरता प्रतिशत		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	अतरौलिया	27118	10226	37344	57.3	21.7	39.5
2.	कोयलसा	29758	10134	39892	56.1	19.2	37.8
3.	अहरौला	32183	11280	43463	56.3	19.4	37.7
4.	महराजगंज	25558	7981	33539	48.1	15.3	31.9
5.	हरैया	25366	8850	34216	47.7	16.4	31.9
6.	बिलरियागंज	33671	13988	47659	52.2	21	36.4
7.	अजमतगढ	34437	14592	49029	58.6	24	41

8.	तहवरपुर	27706	9796	37502	56.9	19.5	38
9.	मिर्जापुर	30986	15077	46063	59.1	27.2	42.7
10	मुहम्मदपुर	26860	12661	39521	54.8	24.5	39.2
11	रानी की सराय	26500	10304	36804	55.1	20.9	37.8
12	पल्हनी	32461	11924	44385	59.6	23.7	42.4
13	सठियांव	27376	9758	37134	47.4	17.9	33.1
14	जहानागंज	27400	11265	38665	58.3	23.1	40.4
15	पवई	29941	11558	41499	53.6	20.8	37.2
16	फूलपुर	26324	9690	36014	52.6	18.3	35
17	मार्टीनगंज	24625	10070	34695	52.3	19.3	34.9
18	ठेकमा	29334	12279	41613	56.3	21.2	37.8
19	लालगंज	35550	15086	50636	60.7	23	40.8
20	मेंहनगर	33191	12456	45647	54.8	19	36.2
21	तरवा	34340	13829	48659	58.8	21.7	39.6
22	पल्हना नवीन	2000	से प्रारम्भ				
	योग ग्रामीण	621185	242804	863989	55.1	20.8	37.7
	योग नगर	64812	40375	105187	68.9	47.8	58.9
	कुल योग	685997	283179	969176	56.1	22.7	39.2

विकासखण्ड सठियांव कीसाक्षरता दर 33.1 प्रतिशत है जो जनपद में सबसे कम है तथा सर्वाधिक साक्षरता दर42.7प्रतिशतविकासखण्ड मिर्जापुर की है। जनपद की महिला साक्षरता दर 22.7 है। महिला साक्षरता की दर सवसे अधिकब्लाकमिर्जापुर की 27.2 प्रतिशत है औरसवसे कम ब्लाक महराजगंज की 15.3 प्रतिशत ब्लाक हरैया की 16.4 और सठियांवकी 17.9 प्रतिशत है।

वर्ष 2001 की साक्षरता

कुल	महिला
56.85	42.44

1991			2001			वृद्धि
पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	%
56.1	22.7	39.2	74.65	42.44	56.85	45.00

छात्र नामांकन–31जुलाई 2003
सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे– 2003
विद्यालय में जाने हेतु बच्चों की संख्या

विकास खण्ड का नाम	कुल बच्चों की संख्या					
	6–11			11–14		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
नी की सराय	15162	13575	28737	7049	6273	13322
कमा	15510	13333	28843	7998	7045	15043
हवरपुर	13670	11946	25616	6831	5839	12670
ालगंज	17142	15120	32262	8313	7320	15633
ल्हनी	14611	12511	27122	7929	6530	14459
टीनगंज	19292	16050	35342	8094	6287	14381
हानागंज	15531	12977	28508	8277	7517	15794
हम्मदपुर	17251	14667	31918	10483	9243	19726
गर क्षेत्र	7773	6215	13988	3708	2499	6207
वई	17812	15768	33580	8194	7355	15549
ल्हना	9204	7278	16482	4792	3614	8406
रवां	15548	12877	28425	7040	5731	12771
ठियावं	17948	15979	33927	8839	7661	16500
जगतगढ	17923	16717	34640	9784	9199	18983
रैया	15219	13167	28386	5342	4738	10080
तरौलिया	12263	10935	23198	6438	5617	12055
ोयलसा	14476	12704	27180	7573	6348	13921
नेर्जापुर	12279	15226	32505	8940	7847	16787
हरौला	17379	15214	325936	8905	7391	16296
लपुर	17457	14865	32322	8655	6954	15609
हनगर	15938	13225	29163	7138	5592	12730
वलरियागंज	17514	15097	32611	9047	7838	16885
हराजगंज	13030	11810	24840	6935	5868	12803
ोग	354924	307251	662175	175203	148653	324856

स्रोत हाउस होल्ड सर्वे मई 2003

विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या (31 जुलाई 2003)

विकास खण्ड का नाम	कुल बच्चों की संख्या					
	6–11			11–14		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
रानी की सराय	135	39	174	98	111	209
ठेकमा	190	118	308	47	74	121
तहबरपुर	19	11	30	13	14	27
लालगंज	32	32	64	50	35	85
पल्हनी	100	100	200	...	...	..
मार्टीनगंज	241	174	415	33	24	57
जहानागज	881	569	1450	114	366	480
मुहम्मदपुर	36	79	115	105	111	216
नगर क्षेत्र	12		12	20	...	20
पवई	606	338	944	86	95	181
पल्हना	11	12	23	4	6	10
तरवां	5	...	05	...	...	...
सठियांव	129	175	304	172	110	282
अजमतगढ	56	48	104	20	28	48
हरैया	109	134	243	38	35	71
अतरौलिया	207	188	395	30	38	68
कोयलसा	155	132	315	35	49	84
मिर्जापुर	290	115	405	99	105	204
अहरौला	34	16	50	42	25	67
फूलपुर	190	118	308	3	44	47
मेंहनगर	48	41	129	26	21	47
विलरियागंज	390	279	769	25	26	51
महराजगंज	47	28	75	22	47	69
योग	3991	2746	6737	1082	1362	2444

शिक्षकों की उपलब्धता

	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	शिक्षामित्रों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय	7971	5113	2858	2623
उच्च प्राथमिक विद्यालय	1279	1088	191	0

नोट– 1. 53 नवीन विद्यालयों के तथा 1400 नवीन स्वीकृत – 1453 सम्मिलित हैं।

अध्यापकों की आवश्यकता :–

वर्ष	छात्र संख्या	1.40 वांछित अध्यापक संख्या	स्वीकृत अध्यापक संख्या			आवश्यकता		
			अध्यापक	शिक्षामित्र	योग	अध्यापक	शिक्षामित्र	योग
2003–04	41593	10377	7971	2623	10594	....	....	....
2004–05	424225	10605	7971	2623	10594	6	5	11
2005–06	433558	10839	7977	2628	10605	117	117	234
2006–07	443096	11077	8094	2745	10839	119	119	238

स्रोत–विभागीय आकंड़ें।

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

इस प्रकार 26 प्रतिशत बस्तियां प्रा0वि0 से असेवित है। 179 विद्यालय खोलने से सभी सेवित हो जायेगी। वर्ष 2003–04 के पूर्व 126 विद्यालय खुल चुके है। शेष 53 विद्यालय 2003–04 में स्वीकृत है।

स्रोत–विभागीय ऑकड़ें

शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता

जनपद में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओं का विवरण सारणी 2.3 में दिया गया है

सारणी- 2.3

क्रम	विवरण	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	1787	32	1819	570	42	612	2357	74	2431	215	22	237
2.	माध्यमिक विद्यालय सम्बद्ध प्रा.वि.	0	1	1	8	1	9	8	2	10	0	0	0
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	195	6	201	395	21	416	590	27	617	66	11	77
4.	माध्यमिक विद्या. से सम्बद्ध प्रा.वि.	7	1	8	149	6	155	156	7	163	0	0	0
5.	केन्द्रीय विद्यालय	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
6.	नवोदय विद्यालय	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
7.	हाईस्कूल	4	0	4	84	3	87	88	3	91	15	3	18
8.	इण्टरमीडएट	3	1	4	65	11	76	68	12	80	6	1	7
9.	डिग्री कालेज	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
10.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
11.	विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	नकनीकी स.(आई.आई.टी. / पाली)	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
13.	कम्प्यूटिरशिक्षा प्रदान करने व.ली सं.	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
14.	आंगनवाडी केन्द्रों की सं.	522	0	522	0	0	0	522	0	522	0	0	0
15.	मकतब / मदरसे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	संस्कृत पाठशालायें	0	0	0	9	1	10	9	1	10	0	0	0
17.	अन्धे व विकलांग विद्यालय	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
18.	जिला शिक्षा एवं प्रशि. संस्थान	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
19.	बी.आर.सी.	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
20.	एन.पी.आर.सी.	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0

नोट : 1. 53 प्राथमिक विद्यालयों वर्ष 03–04 में स्वीकृत है, जिन्हें शामिल किया गया है।

2.. 70 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्ष 03–04 में स्वीकृत है।

बच्चों के नामांकन की स्थिति

क्र0 सं0	बच्चों की संख्या	6–11			11–14		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
.	बच्चों की संख्या	354924	307251	662175	175203	148653	324856
.	स्कूल में नामांकित	350933	304505	655438	175121	147291	322412
.	स्कूल न जाने वाले बच्चे	3991	2746	6737	1082	1362	2444

स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए 160 ई0जी0एस0 की स्थापना प्रस्तावित है। तथा 30 ए0आई0ई0 प्राथमिक स्तर पर प्रस्तावित है।

विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों के लिए कार्ययोजना :–

स्कूल चलो अभियान में नामांकन अभियान में मिली सफलता के बावजूद जनपद में 6–11 वय वर्ग के 6737 एवं 11–14 वय वर्ग के 2444 बालक बालिकाएं स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। इसका मुख्यकारण इन बच्चों का अपने घर के कामों में लगे रहना, मजदूरी में लगे रहना, भाई–बहनों की देखरेख, विद्यालय से दूर एवं अन्य कारण है। इनकी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्ययोजनाएं बनायीगयी हैं।

ई0जी0एस0 प्राथमिक स्तर :–

सर्वप्रथम 2004–05 में 160 ई0जी0एस0 केन्द्र खोलकर लगभग 4000 बच्चों की उसमें नामांकित किया जायेगा। आगे के वर्षों में विद्यालय से बाहर रह गयें, बच्चों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होगी। फलतः नये ई0जी0एस0 केन्द्रों की कम आवश्यकता होगी। जनपद में पूर्व से ही 200 ई0जी0एस0 केन्द्र संचालित हैं। सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष वार निम्नानुसार ई0 जी0 एस प्रस्तावित है।

ई0जी0एस0 केन्द्र की आवश्यकता	2004–05	2005–06	2006–07
200	160	40	00

ए0आई0ई0 प्राथमिक स्तर :–

इसके अतिरिक्त अधिक उम्र एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए जनपदमें पूर्व से ही 200 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र(शिक्षा घर)संचालित हैं। अतः हमें कम शिक्षा घरों की आवश्यकताहोगी। 2004–05 में प्राथमिक स्तर के 50 ए0आई0ई0 स्थापित कर 750 बच्चों को समायोजित किया जायेगा।

ए0आई0ई0 प्रा0 स्तर	2004–05	2005–06	2006–07
50	50	...	....

बैक टू स्कूल शिविर :–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत2004–05 में 25 केन्द्र स्थापित कर 800 बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

बैक टू स्कूल कार्यक्रम	2004–05	2005–06	2006–07
50	50	00	00

न्याय पंचायत स्तरीय ब्रिजकोर्स :–

उपरोक्त कार्यक्रमों में बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं समायोजन के पश्चात शेष बचे हुए 6–14 वय वर्ग के छात्रों एवं पाठशाला त्यागी बच्चों के लिए न्याय पंचायत स्तरीय ब्रिजकोर्स का आयोजनकराया जायेगा। वर्तमान सत्र 2003–04 में 280 न्याय पंचायतों के सापेक्ष 193 न्याय पंचायतों में ब्रिजकोर्स का आयोजन कराया। इसी अनुपात में आगामी वर्षो में ब्रिजकोर्स आयोजन का लक्ष्य रखा गया हैं।

न्याय पंचायत स्तरीय ब्रिजकोर्स	2004–05	2005–06	2006–07
200	100	100	00

उच्च प्राथमिक स्तरीय ए0आई0ई0 केन्द्र :–

स्कूल चलों अभियान के पश्चात नामांकन में मिली सफलता के बावजूद उ0प्रा0स्तर के 2444 बालक–बालिकाएं विद्यालीय शिक्षा से वंचित हैं। 2003–04 में 44 उ0प्रा0वि0 स्तरीय ए0आई0ई0 केन्द्रस्थापित कर 880 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धार से जोड़ा जायेगा। अवशेष बच्चों के लिए आगामी वर्षो मेंभी ए0आई0ई0 केन्द्र स्थापित किये जायेगें।

ए0आई0ई0 उ0प्रा0वि0 स्तर	2004–05	2005–06	2006–07
150	50	100	00

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता–

	3 किमी0 से कम दूरी पर उच्च प्रा0 विद्यालय	किमी0 से अधिक दूरी पर उच्च प्रा0विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा विद्यालय अनुपात 2:1 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्रा0विद्यालय
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	804	169	–
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है	2678	70	–

कक्षा–कक्षों की स्थितिउ (प्राथमिक स्तर)

कम सं.	प्राथमिक स्तर	ग्रामीण	नगर	योग
	प्रा0वि0 भवन	विकासखण्ड क्षेत्रवार	नगर क्षेत्रवार	
1.	एक कक्षीय	2	2	4
2.	दो कक्षीय	1100	30	1130
3.	तीन कक्षीय	590	0	590
4.	चार कक्षीय	55	0	55
5.	पांच कक्षीय	20	0	20
6.	5कक्ष से अधिक वाले	00	0	0

8. शौचालय युक्त विद्या0– 850 शौचालय विहीनवि0 – 969 शौचालय की आवश्यकता– 969

9. हैण्डपम्प युक्त वि0 – 1715 हैण्डपम्प विहीन वि0 – 104 हैण्डपम्प की आवश्यकता– 104

10. चहारदीवारीयुक्त वि0 –388 चहारदीवारी विहीन वि0 – 1332

उच्च प्राथमिक स्तरः–

1. कुल विद्यालयों की संख्या– 327,

   भवनयुक्त–327, भवनहीन–0, जर्जर पुनर्निमाण योग्य– 7,

2. एक कक्षीय विद्यालय– 03

3. दो कक्षीय विद्यालय– 07

4. तीन कक्षीय विद्यालय– 68

5. चार कक्षीय विद्यालय– 233

6. पांच कक्षीय विद्यालय– 05

7. पांच से अधिक कक्षा वाले विद्यालय 11

8. शौचालय 277

9. .हैण्डपम्प– 302

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय

कम सं0	आइटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक (वर्ष वार)				उच्च प्राथमिक (वर्ष वार)			
		4 - 5	5 - 6	6 - 7	योग	4 - 5	5 - 6	6 - 7	योग
1.	नवीन विद्यालय	---	----	----	----	----	---	----	---
2.	पुननिर्माण	49	16	22	87	5	---	---	5
3.	कक्षा कक्ष	1138	---	---	1138	50	25	16	91
4.	पेयजल	104	---	---	104	25	----	---	25
5.	शौचालय	969	---	---	969	50	---	---	50

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें एवं महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स

आजमगढ़ जनपद में अपैल 2000 से डी0पी0ई0पी0–।।। परियोजना संचालित है। शैक्षिक आंकड़ों की स्थिति वर्षवार निम्न प्रकार है–

कक्षा	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1.	1138	122615	130602	142420	161097	182459
2.	87281	81917	90421	100841	115714	142828
3.	80160	80107	80894	86981	98933	125411
4.	68093	70435	72632	66467	84977	106276
5.	48536	62110	66501	71210	75517	91727
योग	397870	417184	441050	477919	536158	655438
कुल बालिका	193803	209005	221701	236769	260528	304505
कुल एन.ई. आर	78-34	80.9	83.5	88	92	98.9
बालिका एन.ई.आर	76.10	80.50	83.4	88.9	89.0	99

आजमगढ़ जनपद का छात्र नामांकन दर वर्षवार वृद्धि की ओर अग्रसर है। डी0पी0ई0पी0संचालन की अवधिमें प्रा.वि0 एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है–

	2000–01	2003–2004	वृद्धि प्रतिशत
प्रा0वि0(परिषदीय)	1640	1819	10.9
प्राथमिक अध्यापक परिषदीय	7971	8796	10.35

परियोजना में शिक्षामित्रों की नियुक्ति के फलस्वरूप छात्र अध्यापक अनुपात में सुधार हुआ है किन्तु नामंकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र अध्यापक अनुपात 1:48 है। जिसे सर्वशिक्षा अभियान केअन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षामित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात मेंसुधार तो हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:114 है इसे निर्धारित मानक 1:40 परलाने के लिए अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात–

सारणी–

कमांक	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्रा0विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	(6–8)योग	अनुपात
1. ग्रामीण	2365	616	156	772	3.06:1
2. नगरीय	76	27	7	34	2.23:1
3. योग	2441	643	163	806	3.02:1

स्रोत– कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ इस प्रकार माध्यमिक विद्यालयों के 6–8 अनुभागों का सम्मिलित करने पर उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय का अनुपात 1:3.02 आता है। ई. जी. एस., ए. आई. ई की स्थिति

क्र0सं0	वर्ष	स्वीकृत संख्या		संचालित संख्या		
		विद्याकेन्द्र	शिक्षाकेन्द्र	विद्याकेन्द्र	शिक्षाकेन्द्र	
1.	2000–01	100	20	100	20	
2.	2001–02	200	120	200	120	
3.	2002–03	200	200	175	179	
4.	2003–04	200	200	175	179	

1999 से 2003 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन – आजमगढ़

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1999–2000	81409	65485	148894	55.4	44.6	100
2000–2001	80666	67290	147956	54.5	45.5	100
2001–2002	83302	71897	155199	53.7	46.3	100

परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दरः–

कक्षा 5 से कक्षा 6

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिसन दर
2000–2001	62110	51469	82.9
2001–2002	66501	55545	83.5

उच्च प्राथमिक की संख्या में वृद्धिः–

वर्ष –

उ0प्रा0विद्यालय	वर्ष 1993	वर्ष 2000	वृद्धि
– –	133	201	68

अध्याय–3

नियोजन प्रकियाः–

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार निरन्तर बेसिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु प्रयत्नशील रही है। इस दिशा में प्रगति तथा शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापरक बनाने के लिए सरकार द्वारा आपरेशन ब्लै बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा परियोजना आदि द्वारा विभिन्न परियोजनाएं चलायी गयी, इसी श्रृखंला की एक सशक्त कड़ी के रूप में सर्व शिक्षा अभियान एक साहसिक प्रयास है। इस अभियान के अन्तर्गत सन् 2007 तक 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा गुणवत्तावरक शिक्षा प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता तथा लैंगिक असमानता की खाई को पाटने की परिकल्पना की गई है।

सूक्ष्म नियोजनतथा ग्राम शिक्षा योजनाः–

आजमगढ़ जनपद के प्रत्येक ग्राम/बस्ती के प्रत्येक परिवार के 6–11 तथा 11–14 वय वर्ग के बच्चों की शैक्षिक स्थिति के आकलन हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, शिक्षा के प्रति जा।रूक उत्साही जनों तथा अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। उनके माध्यम तथा सहयोग से सम्बन्धितसभी सूचनाओं तथा आकड़ों का एकत्रीकरण किया गया।जिसकी समीक्षा कर कमियों तथा मूलभूत समंस्याओंकी पहचान की गयी। इस दौरान मूलतः निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गयी।

- 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या।
- 11–14 वयवर्ग के बच्चों की संख्या
- विद्यालय न पढ़ने वाले बच्चों कीसंख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या

– विद्यालय न जाने का कारण

– विद्यालय न होने पर यह पता करना कि क्या वहां विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है।

मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव न होने पर शिक्षा हेतु कौन सी व्यवस्था प्रस्तावित की जा सकती है।

प्रा0वि0 के भवन तथा उपलब्ध भौतिक संसाधन की प्रर्याप्तता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना।तथा सुधार हेतु ग्रामवासियों से सुझाव प्राप्त करना।

विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र अध्यापक अनुपात, अध्यापकों की नियमित उपस्थिति, शिक्षणकार्यो की स्थिति तथाशिक्षा की गुणवत्ता के सम्बन्ध में ग्रामवासियों के विचार जानना।

उपरोक्त सूचनायें सूक्ष्म नियोजन द्वारा संकलित करने के पश्चात जनसहयोग से निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये गये।

1– परिवार सर्वेक्षण।

2– स्कूल का मानचित्र/शैक्षिक मानचित्र

3– सूचनाओं का विश्लेषण।

4– ग्रामशिक्षा योजना का निर्माण।

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी–

ग्राम पंचायत रतर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, ग्राम पंचायत के सदस्यों, शैक्षिक अभिरूचि वाले उत्साही नागरिकों तथा शिक्षकों के सभा का आयोजन कर शैक्षिक समस्याओं, आवश्यकताओं पर चर्चाकरते हुए उपयोगी सुझाव आमंत्रित किये गये। शैक्षिक मानचित्र द्वारा गांव की शैक्षिक स्थिति तथा उसमे मूल भूत सुधार हेतु अपेक्षित व्यवस्था के लिए ग्राम शिक्षा योजना बनायी गयी, जिनमें निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गयीं।

(1) गांव की सम्पूर्ण जनसंख्या।

(2) विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या।

(3) स्त्री/पुरूष की जनसंख्या।

(4) पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।

(5) बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में जानकारी।

(6) विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में जानकारी।

(7) बालिका शिक्षाकी स्थिति।

ग्रामसभा स्तर परउपलब्ध आंकड़ों को विकासखण्डवार संकलित किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यकमों को दृष्टिगत रखते हुए 6–14 वयवर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को 6–8 वर्ष तथा 9–14 वर्षके दो समूहोंमें रखा गया, इसके अतिरिक्त कामकाजी, पैतृक व्यवसाय में माता-पिता का सहयोग करने वाले तथा सड़कछाप बच्चों की पहचान की गयी।

प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ऐसे ग्रामों/वस्तियों की सूची तैयार की गयी जहां नवीन विद्यालयशिक्षागारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षाकेन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है साथ ही साथ विद्यालय न जाने वाले बच्चों कीसंख्या का आकलन करते हुए तदनुरूप शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यकम रखे गये हैं।

स्कूल चलो अभियानः–

विद्यालयों में बालक बालिकाओं के शत–प्रतिशत नामांकन तथा ड्राप आउट को समाप्त करने के

उद्देश्य से वर्ष 2000–01 तथा 2001–02, 2002–03, 2003–04 में स्कूल चलों अभियान चलायागया। इस कार्यकम के तहत व्यापक प्रचार प्रसार करने

केसाथ–साथ स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान तथा उनका शत–प्रतिशत नामांकन के लिए स्कूल चलों अभियान दो चरणों में आयोजित किया गया। हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित बच्चों के शत–प्रतिशत नामांकन हेतु दिनांक 2.7.2003 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त स0बे0शि0अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, समन्वयक डी0पी0ई0पी0 की बैठक कर स्कूल चलों अभियान की रूपरेखा तैयार की गयी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत दिनांक 6.7.2003 को उच्च प्रा0 वि0 सरूपहां, लालगंज आजमगढ़ में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें तमाम स्कूली बच्चे अध्यापक एवं गणमान्य व्यक्ति,समाज सेवी संस्थायें, सम्मानित पत्रकार शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी,शिक्षक संघ के पदाधिकारी,स्कूल चलो अभियान से सम्बन्धित बैनर, पोस्टर एवं नारों के साथ। प्रतिभाग किये।रैली का नेतृत्व स्वयं जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने किया। दिनांक 7.7.2003 को विकासखण्ड स्तर पर सभी विकासखण्डों में स0बे0शि0 अधिकारी के नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली गयी। जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, बी.0डी0सी0 सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य,जन प्रतिनिधि एवं अध्यापक तथा बच्चों ने बढ़–चढ़कर प्रतिभाग किया।स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां निम्न सारणी में दर्शायी गयी हैं:

ड्राप आउट दर प्राथमिक स्तर

बालक	बालिका	योग	अनुसूचित जाति		
			बालक	बालिका	योग
29 प्रतिशत	37 प्रतिशत	33 प्रतिशत	34 प्रतिशत	42प्रतिशत	38 प्रतिशत
					वर्ष 2002–03

जनपद के पांच विकासखण्डों के पांच–पांच विद्यालयों की विगत पांच वर्षो की स्थिति के आधार पर उनका औसत ड्राप आउट दर निकाला गया है।

जनपद का शुद्ध नामांकन अनुपात प्रा0 स्तर (एन0ई0आर0) 2003–04

बालक	बालिका	योग	अनुसूचित जाति		
			बालक	बालिका	योग
98.8 प्रतिशत	99.0 प्रतिशत	98.9 प्रतिशत	86.7 प्रतिशत	63 प्रतिशत	74.9 प्रतिशत

स्रोत बी0एस0 एस0 2003–04

आजमगढ जनपद में सर्व शिक्षा अभियान की योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित प्रयास किये गये।

(1) नियोजन टीम का गठन:

इस योजना के नियोजन हेतु निम्नवत् टीम का गठन किया गया।

अ– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ श्री राकेश कुमार

ब– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ श्रीमती गीता रानी यादव

स– सहायक लेखाधिकारी डी0पी0ई0पी0 आजमगढ़ श्री अरूण प्रकाश सक्सेना

द– प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर आजमगढ़–

य– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बिलरियागंज श्री रामवचन यादव

र– जिला समन्वयक श्री मुकेश कुमार

2. ग्राम पंचायत स्तर, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के साथ बैठकें आयोजित की गयी समुदाय की शिक्षा प्रति सोच ,शिक्षा से उनकी अपेक्षाएं , इस क्षेत्र उनके द्वारा मिलने वाले सहयोग के स्वरुप आदि विषयो पर विस्तृतविचार– विमर्श किया गया, जिनकी सर्व शिक्षा के पर्सपेक्टिव प्लान के निर्माण में अहम भूमिका होगी । इन बैठको के माध्यम से योजना के निर्माण तथा कियान्यवनमें ग्राम शिक्षा समितियो की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए यह भी अवगत कराया गया कि इससे नियोजन प्रबन्धन अनुश्रवण,मूल्यांकन, आदि में उनकी सशक्त भागीदारी होगी ।

इस जनपद में डी0पी0ई0पी0–।।। कार्यकम विगत दो वर्षो से संचालित है। उसी के वृहत स्वरूप में सर्व शिक्षा अभियान का संचालन होना है जो 2007 तक चलेगा। उसके नियोजन हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समिति के सदस्य, माननीय सांसद एवं विधायकगण अध्यक्ष,सदस्य, क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत शिक्षक संगठनों, अभिभावकों, विशिष्ट समूहों से बैठकों के माध्यम से विचार–विमर्श किया गया जिसकी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है।

2. ग्राम पंचायत स्तर, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के साथ बैठकें आयोजित की गयी ।समुद की शिक्षा प्रति सोच ,शिक्षा से उनकी अपेक्षाएं , इस क्षेत्र उनके द्वारा मिलने वाले सहयोग के स्वरुप आदि विषयो पर विस्तृत विचार– विमर्श किया गया, जिनकी सर्व शिक्षा के पर्सपेक्टिव प्लान के निर्माण में अहम भूमिका होगी। इन बैठको के माध्यम से योजना के निर्माण तथा कियान्यवनमें ग्राम शिक्षा समितियो की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए यह भी अवगत कराया गया कि इससे नियोजन प्रबन्धन अनुश्रवण, मूल्यांकन, आदि में उनकी सशक्त भागीदारी होगी ।

इस जनपद में डी0पी0ई0पी0–।।। कार्यकम विगत दो वर्षो से संचालित है। उसी के वृहत स्वरूप में सर्व शिक्षा अभियान का संचालनहोना है जो 2010 तक चलेगा। उसके नियोजन हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समिति के सदस्य, माननीय सांसद एवं विधायकगण अध्यक्ष,सदस्य, क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत शिक्षक संगठनों, अभिभावकों, विशिष्ट समूहों से बैठकों के माध्यम से विचार–विमर्श किया गया जिसकी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है।

कमांक	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक के दौरान परामर्श में उभरे विन्दुओं का संक्षिप्त विवरण एवं सुझाव
1 2	24.11.2001 22.11.01	जू0हा0स्कूल जहानागंज कार्यालय स0 बे0शि0अ0 मेंहनगर।	खण्ड विकास अधिकारी,स0बे0शि0अ0 ओमप्रकाश सिंह प्र0अ0,ग्राम प्रधान–बर हतिर,कपिलदेव सिंह प्र0,5 अन्य ग्राम प्रधान,ब्लाक प्रमुख,उप बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वितीय,11सगन्वयक एवं सह–समन्वयक। प्रभारी बी0डी0ओ0,एक बी0डी0सी0 सदस्य, 7 ग्राम प्रधान,12 युवक मंगल दल के सदस्य,5 प्रधानाध्यायक एवं 12 स0अ0,स0बे0शि0अधिकारी मेहनगर।	1. अभिभावक की अज्ञानता दूर करने हेतु प्रचार–प्रसार किया जाय। 2.ग्राम स्तर पर शिक्षा अनिवार्य की जाय। तथा ग्राम शिक्षा समितियों को सकिय किया जाय। 3.निर्धन बच्चों को स्कूल जाने हेतु 15 किगा0 खाद्यान्न ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाय। 4.बालकों से कार्य लेने वाले मालिकों को दण्डित किया जाय। 5. विद्यालय में चहारदीवारी, शौचालय, बागवानी, खेलकूद के उपकरण की व्यवस्था की जाय। 6.मानक के अनुरूप अध्यापक रखे जाये। 7. अल्पसंख्यक बालिका की शिक्षा हेतु अल्पसंख्यक वर्ग के अध्यापक/अध्यापिका नियुक्ति किये जाये। 8. 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नामांकन न किया जाय। फर्जी नामांकन रोका जाय। 9. बच्चे मध्यान्ह में बस्ता लेकर घर न जाय। 10.विद्यालय खुलने से पहले बच्चों की बाल गणना कर ली जाय एवं उनका नामांकन अध्यापक अवश्य कराये अन्यथा दण्डित किया जाय। 1. छात्र अध्यापक अनुपात 1:40 रखा जाय। 2.प्रत्येक कक्षा के छात्रों को बैठने हेतु एक कक्ष अवश्य उपलब्ध कराया जाय। 3.अध्यापकों की उपस्थिति 10 बजे से 4 बजे तक सुनिश्चित की जाय। 4.विद्यालय परिसर आकर्षक बनाया जाय। 5. पढाई छोडकर जाने वाले छात्रों को पुनः वापस लाने की जिम्मेदारी शासन ले तथा उनकी कठिनाइयां दूर करें। 6. 100 प्रतिशत नामांकन की जिम्मेदारी ग्राम शिक्षा समिति को सौपी जाय। 7.शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्थाकी जाय।तथा अध्यापकों के मूल्यांकन की भी व्यवस्था की जाय। 8. क्षेत्रीय अधिकारी को साधन उपलब्ध

				कराया जाय। ताकि गतिशीलता आ सके। 9.जो परिवार एक स्थान पर नहीं रहता है उन बच्चों की आवासीय व्यवस्था की जाय। 10. शिक्षा की महत्ता से अभिभावकों को अवगत कराया जाय।
3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	23. 11.01 23.11.01 23.11.01 23.11.01 24.11.2001 24.11.01 23.11.01 26.1101 23.11.01		प्रा0 शि0संघ एवं लगभग 20 अन्य अध्यापक तथा 6 एन0पी0आर0सी0 समन्वयक स0बे0शि0अधिकारी ठेकमा। स0बे0शि0अ0 पल्लना,प्र0अ0प्रा0वि0 चौकीखैरा,बी0आर0सी0समन्वयक, ह समन्वयक,न्याय पंचायत समन्वयक,ग्राम प्रधान लहुआखुर्द,कई बी0डी.सी0 सदस्य एवं स0अ0। स0बे0शि0अ0 फूलपुर,प्रति उप वि0निरी0 फूलपुर,न्याय पंचायत समन्वयक पत्थी,दीदा –रगंज एवं दीदारगंज न्यायपंचायत के समस्त प्र0एव स0अ0,संवाददाता दैनिक जागरण,अमर उजाला(दैनिक समाचार पत्र) प्र0अ0,एन0पी0आर0सी0समन्वयक, सगरत स0अ0 प्रा0नि0 देवगांव प्रथम,अध्यक्ष,मंत्री प्रा0शि0संघ,प्र0अ0 उ0प्रा0वि0 देवगांव प्रथम कोटेदार देवगांव। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत मेहनाजपुर प्र0अ0 प्रा0वि0मेहनाजपुर,जिला पंचायत संदस्य प्रधान ग्राम पंचायत बरवां,प्रधानाध्यापिका क0जू0हा0मेहनाजपुर,क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रा0वि0 शाहपुर,प्रा0अ0प्रा0वि0रामनगर, स0अ0जू0हा0स्कूल मेहनाजपुर। श्रीमती सुमन यादव ग्राम प्रधान,,ग्राम पंचायत पवई,जोखूराम यादव स0अ0प्रा0वि0इमली महुआ,प्र0अ0प्रा0वि0रामापुर,स0बे0शि 0अ0समन्वयक,वि0क्षेत्र पवई। प्रा0वि0 गूजरपार के प्र0अ0 एवं सगरतस0अ0,ग्राम प्रधान गूजरपार एवं शिक्षा में रूचि लेने वाले लोग। ग्राम प्रधान अहरौला,अध्यक्ष प्रा0शि0संघ अहरौला,समन्वयक बी0आर0सी0,एन0	

				पी0आर0सी0,बी0डी0सी0 सदस्य प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अहरौला,पूर्व प्रधान अहरौला।	
3	23.11.01	प्रा0वि0टीका	ब्लाक प्रमुख,अध्यक्ष एवं मंत्री	1.शिक्षा में राजनीति का प्रवेश पूर्णतया वर्जित
4.	23.11.01	पुर वि0क्षेत्र	प्रा0शि0संघ,प्र0अ0,प्रा0वि.	हो। 2.अध्यापकों से शिक्षणेत्तर कार्य कदापि न
5.	23.11.01	तहबरपुर	टीकापुर, ग्राम प्रधान	लिया जाय। 3.अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या
6.	23.11.01	(ग्राम स्तर)	टीकापुर,7न्यायपंचायतोंके	अनुपात में हो। 4.विद्यालय में कोई संयुक्त खाता
7.	23.11.01	प्रा0वि0	समन्वयक एवंकई अन्य	नहीं होना चाहिए। 5.शिक्षक अभिभावक सम्पर्क
8.	24.11.01	महराजगंज	सम्भ्रान्त व्यक्ति तथा स0बे0	पर जोर दिया जाय। 6.अभिभावक भी शिक्षा के
9.	24.11.01	विकासक्षेत्र	शिक्षा अधिकारी तहबरपुर।	प्रति जागरूक हो। 7.अध्ययन सामग्री कम मूल्य
10.	23.11.01	महराजगंज	प्रा0शि0संघ के अध्यक्ष एवं	पर उपलब्ध कराई जाय। 8.गरीबी उन्मूलन पर
11.	26.1101	(ग्राम स्तर)	मंत्री प्र0अ0प्रा0वि0महराजगंज	जोर दिया जाय। 1.अध्यापकों की कमी दूर की
12.	23.11.01	बी0आर0	ग्राम प्रधान महराजगंज	जाय। 2.शिक्षण कक्ष की कमी दूर की जाय। 3.
		सी0भवन	स0बे0शि0 अधिकारी	अध्यापक अपने दायित्वों का पूर्णरूपेण निर्वहन
		ठेकमा।	महराजगंज। नवयुवक	करें। 4.पाठ्यकम में सुधार कियाजाय। 5.गरीबी
		(ग्राम स्तर)	मंगल दल के ब्लाक	दूर करने के प्रयास किये जाय। 6.अभिभावक
		प्रा0वि.	अध्यक्षएवं मंत्री,ग्राम	सकिय योगदान करें। 7.निरीक्षकों द्वारा सघन
		पल्हना	प्रधान,ग्राम पंचायत ठेकमाएवं	निरीक्षण किया जाय। 1.निरीक्षकों से केवल
		वि0क्षेत्र	बौआपार,प्र0अ0	निरीक्षण कार्य करवाया जाय जिससे निरीक्षण
		पल्हना	पू0मा0वि0ठेकमा एवंप्रा0वि0	प्रभावी हो सके। 2.अध्यापकों से शिक्षणेत्तर कार्य
		(ग्राम स्तर)	ठेकमा अध्यक्ष एवं मंत्री	न करवाया जाय। 3.शिक्षा को रोजगार परक
		प्रा0वि0दीदा	प्रा0शि0 संघ एवं लगभग 20	बनायाजाय। 4.बुनियादी शिक्षा लागू की जाय। 5.
		र गंज	अन्य अध्यापक तथा 6	परिवार कल्याण कार्यकम को प्रभावी ढ़ग से लागू
		वि0क्षेत्र	एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	कियाजाय। 6.छात्रवृत्ति प्रतिदिन एक रूपये की
		फूलपुर	स0बे0शि0अधिकारी ठेकमा।	दर से दी जाय। 7.अध्यापकों का स्थानान्तरण
		(न्याय	स0बे0शि0अ0	घर से कम से कम 50 किमी0 दूर किया
		पंचायतस्तर)	पल्हना,प्र0अ0प्रा0	जाय। 8.अध्यापकों की ड्यूटी 6 घंटे से बढाकर
		प्रा0वि0	वि0चौकीखैरा,बी0आर0सी0स	12 घंटे की जाय। 9.अध्यापकों की योग्यता माना
		देवगांवप्रथम	मन्वयक,सहसमन्वयक,न्याय	इण्टरमीडिएट हो।' 1. प्रत्येक विद्यालय में कम
		(ग्रामस्तर)	पंचायत समन्वयक,ग्राम	से कम 5 शिक्षण कक्ष होने चाहिए। 2.प्रत्येक
		जू0हा0स्कूल	प्रधान लहुआखुर्द, कई	विद्यालय में कम से कम 5 अध्यापक नियुक्त
		मेहनाजपुर	बी0डी.सी0 सदस्य एवं	किये जाय। 3.शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन
		ग्राम स्तर	स0अ0। स0बे0शि0अ0	ईमानदारी से करें। 4.विद्यालय में कीड़ा सामग्री
		क0जू0हा0	फूलपुर,प्रति उप	की व्यवस्था होनी चाहिए। 5.निरीक्षकों का वेतन
		पवई (ग्राम	वि0निरी0फूलपुर,न्याय	अध्यापकों से अधिक रखाजाय। 1.शिक्षक
		स्तर)	पंचायत समन्वयक	अभिभावक तादात्मय स्थापित हो। 2.पाठयकम में
		प्रा0वि0	पत्थी,दीदा–रगंज एवं	सुधार/संसोधन किया जाय। 3.रोजगारपरक
		गूजरपार	दीदारगंज न्यायपंचायत के	पाठयकम होना चाहिए। 4.प्रा0शि0 पर ग्राम
		वि0क्षे0–	समस्त प्र0एवं	पंचायत का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। 5.
		सठियांव	स0अ0,संवाददाता दैनिक	अध्यापकों के खाते से ग्राम प्रधान को निकाला
		(ग्राम स्तर)	जागरण,अमर उजाला(दैनिक	जाय। 6.समितियों की अनौपचारिकता दूर हो !
		प्रा0वि0	समाचार पत्र)	7.व्यक्तिगत संस्थाओं की मान्यता गति परनियंत्रण
		अहरौला	प्र0अ0,एन0पी0आर0सी0समन्-	रखा जाय। 8. प्रोत्साहन नकद के रूप में न
		ग्राम स्तर	वयक,समस्तस0अ0 प्रा0वि0	देकर वस्तु के रूप में दिया जाय। 9. अध्यापकों
			देवगांव	की कमी दूर की जाय। 1.विद्यालय में कम से
			प्रथम,अध्यक्ष,मंत्रीप्रा0शि0संघ,	कम 5 अध्यापक तथा 5कक्षा हो। 2.सतत

			प्र0 अ0 उ0प्रा0वि0 देवगांव प्रथग कोटेदार देवगांव। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत मेहनाजपुर प्र0अ0प्रा0वि0मेहनाजपुर,जिला पंचायत संदस्यप्रधान ग्राम पंचायत वरवां,प्रधानाध्यिापिका क0जू0हा0 मेहनाजपुर,क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रा0वि0 शाहपुर,प्रा0अ0प्रा0वि0 रामनगर,स0अ0जू0हा0स्कूल मेहनाजपुर। श्रीमती सुमन यादव ग्राम प्रधान,, ग्रामपंचायत पवई,जोखूराम यादव स0अ0प्रा0वि0इमली महुआ,प्र0 अ0प्रा0वि0रामापुर,स0बे0शि0 अ0समन्वयक,वि0क्षेत्र पवई। प्रा0वि0 गूजरपार के प्र0अ0 एवं समस्तस0अ0,ग्राम प्रधान गूजरपार एवं शिक्षा में रूचि लेने वाले लोग। ग्राम प्रधान अहरौला,अध्यक्ष प्रा0 शि0संघअहरौला,समन्वयक वी0आर0सी0,एन0पी0आर0सी0,वी0डी0सी0 सदस्य प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अहरौला,पूर्व प्रधान अहरौला।	मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दियाजाय। 3.छात्र अध्यापक तथा अभिभावक सम्पर्क स्थापित किया जाय। 4.अध्यापकों की कमी को दूर कियाजाय। 5.अध्यापकों में आत्मावलोकन का गुण होना चाहिए। 6. आकर्षक शिक्षक सामग्री का प्रयोग किया जाय। 1. रोजगारपरक शिक्षा होनी चाहिए। 2. बच्चों को विद्यालय न भेजने वाले अभिभावकों को सरकारी सुविधा से वंचित कियाजाय। 3. अध्यापक पर्याप्त संख्या में रखे जाय। 4. शिक्षकों को शिक्षणेत्तर कार्य न लिया जाय। 5. शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाय। 6. शिक्षकों में दायित्व बोध उत्पन्न किया जाय। 1.पर्याप्त संख्या में शिक्षक दिये जाय। 2.शिक्षण कक्ष पर्याप्त संख्या में बनाये जायं। 3.विद्यालय में मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराये जाय। 4. पाठयकम को छोटा किया जाय। 5.विषयानुरूप अध्यापको को रखा जाय। 1. प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 5 अध्यापक हो। 2.शिक्षकों से अन्य कोई कार्य न लिया जाय। 3. अच्छे शिक्षकों को पुरस्कार एवं कार्य न करने वाले शिक्षकों को दण्ड दिया जाय। 4. शिक्षण सामग्री की व्यवस्था। 5. विद्यालय परएक चपरासी की व्यवस्था की जाय। 6. सूचना एवं मीटिंग का कार्य प्र0अ0 स्वयं करे। 7. विद्यालय में अनुशासन कायम रखा जाय। 1. पर्याप्त शिक्षकों का न होना। 2. ह्रास अवरोध पर विचार। 3. शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता। 4. अध्यापकों की कमी। 5. बालिका शिक्षा में कमीं 6. व्यावसायिक शिक्षा पर बल देने पर विचार। सुझाव– 1. पर्याप्त कक्षां –कक्षों एवं अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए। 2. प्रयास होना चाहिए कि बच्चों का विद्यालयों से प्लायन रुके। 3. शिक्षा को गुणवत्ता परक बनाया जाय। 4. बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 5. विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा पर बल देना चाहिए।

13 14	23.11.01 22.11.01	प्रा0वि0 अमौढा (विकासखण्ड स्तर) जू0हा0स्कूल0 बाजार गोसाई वि0 खण्ड–हरैया	प्र0अ0वि0खण्ड–मुहम्मदपुर,ग्रा0प्रधान रीवां विसहम,जाफरपुर, सुरजनपुर,समन्वयक बी0आर0सी0 / सह समन्वयक एन0पी0आर0सी0 मुहम्मदपुर,स0वे0शि0अ0मुहम्मदपुर।	1. शिक्षक / अभिभावक सम्पर्क का अभाव। 2. अध्यापकों का नियमित उपस्थिति का अभाव। 3. अभिभावकों का अशिक्षित होना। 4. ह्रास / अवरोध का होना। सुझावः 1. अध्यापकों कीछात्र अनुपात में पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। 2. अभिभावकों को जागरूक बनाया जाय। 3. समाजसेवी संस्थाओं द्वारा शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहयोग लिया

			1.श्री किशोरी लाल गुप्ता ग्राम प्रधान–बनकटा 2.श्री तौफीक अहमद ग्रा0 प्रधान बनावे। 3.श्री रामदरस पटेल ग्रा0प्र0 बैदोली 4.श्री कतवारू प्रसाद समन्वयक हाजीपुर। 5.महातम यादव टी0ओ0 टी0 कान्तीपुर। 6.बाबूराम राय समन्वयक इशरापार। 7.वालेदीन यादव टी0ओ0 टी0 दानशनिचरा 8. हरिश्चन्द्र स0अ0 हरैया। 9.जगदीश त्रिपाठी ख0वि. अ0–हरैया 10.तारा प्रसाद प्रमुख क्षेत्र पंचायत समिति हरैया। 11 धनपति यादव स0वे0 शि0 अ0–हरैया।	जाय। 1. विद्यालयों मेंअनुशासन की कमी। 2. शिक्षकों से अतिरिक्त कार्य लेना। 3. विद्यालय का परिवेश आकर्षक न होना। 4. छात्रों के नियमित उपस्थिति पर ध्यान न देना। 5. विद्यालय में शिक्षकों का अभाव। 6. शिक्षकों का राजनीति से प्रेरित होना। 7. अभिभावकों का अशिक्षित होना। सुझावः 1. अध्यापक अपने कर्तव्य एवं दायित्व को समझे। 2. छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करना। 3. ग्रा0शि0समितियों एवं अभिभावकों को जागरूक बनाया जाय। 4. शिक्षण कार्य के अलावा काई अन्य कार्य शिक्षकों से न लिया जाय। 5. विद्यालय परिसर को आकर्षक बनाया जाय। 6. शिक्षण कार्य सुरुचिपूर्ण ढग से कराया जाय।
15 16	26.11.01 8.12.01	प्रा0वि0 जमीन दसांव वि0खण्ड–अतरौलिया (ग्राम स्तर) विकासक्षेत्र रानी की सराय	1.गिरिजा देवी ग्रा0प्र0 2. 4 अ0अ0 3. जगदम्बा सिंह पूर्व प्रधान 4. प्रधानाध्यापक 5. जू0हा0स्कूल प्र0अ0 6. न्याय पंचायत समन्, क अभिभावक एवं ग्राम पं0 सदस्य। ख0वि0अ0,ब्लाक प्रमुख–रानीकी सराय,समस्त प्रा0 / उ0प्रा0वि0 के प्र0अ0,उप वे0शि0अ0आजमगढ, बी0 आर0सी0,एन0पी0आर0सी ग्राम प्रधान अहौरीसेठवल, रानी,चकसेठवल,नदौलीच ढ़ई एवं क्षेत्रीय जनता।	1. शाल त्यागी बच्चों का नामांकन कैसे हो। 2. अभिभावकों को बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाय। 3. बालिका शिक्षा को शिल्प केन्द्रित बनाया जाय। 4. शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसे हो। 5. विद्यालयों में शिक्षकों की कमी। 6. विद्यालय के वातावरण पर विचार। सुझावः 1. बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों को प्रेरित किया जाय। 2. प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 5 अध्यापक रखे जायं। 3. मार्कन बस्तियों में अभियान चलाकर नामांकन किया जाय। 4. विद्यालय का वातावरण सुरुचिपूर्ण हो। 5. प्रति माह शिक्षक अभिभावक गोष्ठी की जाय। 1. विद्यालय में शत प्रतिशत नामांकन। 2. बालिका शिक्षा की अभिवृद्वि हेतु विचार विमर्श। 3. विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। 4. विद्यालय में पाठ्य सहगामी कियाकलापों का कियान्वयन 5. प्रा0वि0 में कक्षावार शिक्षण कक्ष की व्यवस्था। सुझावः 1.ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित अध्यापक ग्राम प्रधान एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा गोष्ठी करके जिनके बच्चे विद्यालय नही आते हैं उन्हें प्रेरित किया जाय। 2.बालिकाओं के

				नामांकन में विशेष रूप से रूचि लिया जाय बालिकाओं के लिए विद्यालय अधिक दूर नहीं होना चाहिए उन्हें प्रोत्साहन हेतु अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाय। 3.अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापक रूप से निरीक्षण करने का प्रावधान सुनिश्चित होना चाहिए। जो अध्यापक अनियमित रूप से अनुपस्थित पाया जाता है उसका तत्कालीन प्रभाव से प्रशासनिक कार्यवाही करने का प्राविधान होना चाहिए। 4.विद्यालय में प्रर्याप्त रूप से खेल–कूद की सामग्री उपलब्ध करायी जाय और प्रतिदिन बच्चों को एक घंटा खेलकूद करने की व्यवस्था सुनिश्चित होना आवश्यक है। 5. विद्यालय में छात्रसंख्या अधिक होती है परन्तु बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है अतः 1:40 के अनुपात में कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जाय।
1	12.11.01		जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बे0शि0अधिकारी, स0बे0शि0अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	1. शिक्षा की पहुँच 2. नामांकन के सम्बन्ध में 3. ठहराव सम्बन्धी 4. गुणवत्ता सम्बन्धी सुझाव 1.जिन बस्तियों में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं विद्यालयों की स्थापना करना तथा जहां विद्या लय स्थापना सम्भव नहीं है। वहां ई0जी0एस0 तथा ए0आई0एस0 केन्द्र स्थापित करना। 2. ग्राम शिक्षा समितियों को सकिय करते हुए विद्यालयों द्वारा शिक्षा सप्ताह का आयोजन कर नामांकन का प्रयास किया जाय। जो अभिभावक आर्थिक रूप से पिछडे हैं उन्हें उत्प्रेरित किया जाय कि वे बच्चों से काम कम लें तथा विद्यालयों में भेजना सुनिश्चित करें। 3. जनसहयोग के माध्यम से विद्यालीय शिक्षा के प्रति उदासीन लोगों को उत्प्रेरित किया जाय। विद्यालयों में चहारदीवारी शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था की जाय। इसके साथ–साथ 1:40 के अनुपात में कक्षा कक्ष एवं अध्यापकों की अनिवार्यता की व्यवस्था की जानी चाहिए। 4. शिक्षकों तथा निरीक्षकों को प्रतिवर्ष सेवारत तथा पुर्न बोधात्मक प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। उपयुक्त तथा पर्याप्त शिक्षा सामग्री कीव्यवस्था करनी होगी। तथा शिक्षकों को गैर सरकारी कार्यो से विरत रखना होगा। समस्त स0बे0शि0अधिकारियों एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित व नोट कराई गई समस्त सूचनायें दिनांक 20–11–2001 तक अनिवार्यता उपलब्ध करायें। जिससे शासन की मंशानुरूप निर्धारित समय पर पर्सपेक्टिव प्लान

				तैयार कर उपलबध कराया जा सके।

23.11.01

1.	3.12.01	विकास भवन	1.जिलाधिकारी आजमगढ 2.मुख्य विकास अधिकारी,आजमगढ 3.प्राचार्य डायट आजमगढ 4. सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) आजमगढ। 5. जिला बेसिक शिक्षाअधिकारी आजमगढ 6. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी–। आजमगढ 7. उप बेसिक शिक्षाअधिकारी–।। आजमगढ 8.वरिष्ठ प्रवक्ता (डायट) आजमगढ 9. विकलांग अधिकारी आजमगढ 10 जिला समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ 11. पिछडावर्ग कल्याण अधिकारी आजमगढ 12. जिला कृषि अधिकारी आजमगढ 13. जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमग . 14. जिला पंचायत राज अधिकारी आजमगढ 15. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी डी.पी.ई.पी. आजमगढ 16. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर आजमगढ 17. स0बे0शि0 अधिकारी बिलरियागंज आजमगढ 18. मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ आजमगढ 19. कोषाध्यक्ष प्रा0शि0संघ आजमगढ 20. अध्यक्ष प्रा0शि0संघ आजमगढ	1.ड्राप आउट रोकना 2.लैंगिक असमानता को दूर करना 3. सामाजिक बिभेद को दूर करना 4. शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार 5. अध्यापकों की कमी पर बिचार 6.शिक्षकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिए जाने के सम्बन्ध में 7. समुदाय की सहभागिता 8. विद्यालयीय वातावरण 9. कक्षा कक्षो की अप्रर्याप्तता सुझाव 1.शिक्षा के प्रति जनता में जागरुकता एंव सुरुचिसित जानी विकसित की जानी चाहिए तथा उनमें यह भावना भरी जानी कि बच्चों को विद्यालय भेजने के साथ–साथ उनका विद्यालय में ठहराव भी सुनिश्चित कर सके। 2.सामान्यतया ग्रामीण अभिभावक बालकों की अपेक्षा बालिकाओं केशिक्षा पर कम ध्यान देते हैं। यदि विद्यालय भेजते भी हैं तो उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं कर पाते अपितु छोटे बच्चों की देखरेख हेतु बालिकाओं को घर पर ही रोक देते हैं। ऐसी दशा में प्राथमिक शिक्षा के साथ शिशु शिक्षा की व्यवस्था उपयोगी होगी । 3. सामान्य वर्ग की अपेक्षा अनुसूचित जाति तथा आर्थिक रुप से विपन्न समाज में शिक्षा के प्रति रुझान कम पाई जाती है सामान्यतया विद्यालय तो दूर पडते ही हैं पूरे समय तक विद्यालय में अपने बच्चों को रख पाने में समर्थ नहीं हैं। ऐसे समुदाय के लिये बै0शि0 केन्द्रों तथा विद्या घरों की अधिक उपयोगिता होगी । 4. बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार की आवश्यकता है । न्यूनतम अधिगम स्तर शत–प्रतिशत हो इस हेतु प्रयास करने की अति आवश्यकता है । 5.बेसिक विद्यालयों में अध्यापक–छात्र अनुपात 1:48 है इसे 1: लाने की आवश्यकता हैं। 6. जिस तरह से पाठ्यक्रम परिवर्तित हो रहे हैं उसके अनुसार एक निश्चित अंतराल पर अध्यापकों को पुर्नबोधात्मक/सेवाकालीन प्रशिक्षण देते रहने की आवश्यकता है । 7.ग्राम शिक्षा समितियों को बेसिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशामें अधिकउत्तरदायी बनाये जाने की आवश्यकता है । 8.विद्यालय तथा विद्यालय के प्रांगण का सौन्दर्यीकरण आवश्यक है । 9. 1:40 के अनुपात में विद्यालयों में कक्षा –कक्ष उपलब्ध नहीं है जिससे शिक्षण कार्य बाधित होता है । अतः उक्त अनुपात में कक्षा–कक्षों की व्यवस्था आवश्यक है ।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोगः—

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढग से सहयोग प्राप्त किया
जाता है।

(अ) आई0सी0डी0साथ समन्वयः—

जिला कार्यकम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, एन0जी0ओ0 आदि को
सम्मिलित कर जिला सन्दर्भ समूह तथा विकासखण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत्
आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

1— आगनवाड़ी केन्द्रों कासमय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धरित किया जाता है।

2— आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रागंण या उसके निकट की जाती है।

3— आंगनवाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

4— केन्द्रों के सुदृढीकरणा हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।

5— केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढग से अतिरिक्त मानदेय दियाजाता है।

(ब) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वयः—

स्वास्थय विभाग से साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र—छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। जिससे चिन्हित रोगी छात्र—छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके। तथा बच्चे की स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके। स्वास्थ्य कार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सकअथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवायें ली जाती है। चिकित्सकों के आने जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(स) समाज कल्याण विभाग से समन्वयः—

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्रा0विद्यालयों व उ0प्रा0विद्यालयों के अनु0जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहितकरने हेतु कमशः 300/— व 400/— प्रति छात्र की दर से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(द) ग्राम पंचायतों से समन्वयः—

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से पंचायत भूमि प्रबन्धन समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाती है। जहां पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(य) खाद्य एवं आपूर्त्ति विभाग से समन्वयः—

खाद्य एवं आपूर्त्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80प्रतिशत मासिकउपस्थितिवाले प्रत्येक छात्र—छात्राओं को 3 किग्रा0 प्रति छात्र कीदर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित किया जाता है।

(र) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वयः—

विकलांग कल्याण विभाग से सहयोग से विकलांग छात्र—छात्राओं को उपकरण(ट्राई साइकिल,वैशाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलागों के सहायतार्थ उपकरणों/संयत्रों के वितरण में छात्र—छात्राओं को प्राथमिकता दी जाय।

(ल) उत्तरप्रदेश जलनिगम/यू0पी0एग्रों से समन्वयः—

इन दोनों विभागों से सहयोग से प्रा0वि0/उ0प्रा0वि0 के छात्र—छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती हैं।

(व) युवा कल्याण विभाग से समन्वयः—

युवाकल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीड़ा प्रतियोगिता सम्पादित कराई जाती है ताकि बच्चों में खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नांमाकन में वृद्धि हेतु कार्यकम चलाये जाते है।

शिक्षाके क्षेत्र में ग्राम शिक्षासमितियों व स्थानीय सुमदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(स) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वयः—

इन दोनों विभागों मे समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/—रू0 प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित कराई जाती है। ताकि इन बच्चों को गणवेश एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो सके।

(ह) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वयः—

शिक्षा के उन्नयन हेतु विकास जिला विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0) से सम्बन्ध स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 60 प्रतिशत धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है। 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वेंजेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय–4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्यः–

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान संचालित करनेका निर्णय लिया गया है। यह अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप मेंचलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का ,प्रतिशत 85:15 तथा दशम पंचवर्षीय योजना में 75:25 और उसके आगे के अवधि के लिए अंशदान का प्रतिशत50:50 का होगा।

– शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

1-- वर्ष 2003–04 तक शत प्रतिशत नामांकन।

2– वर्ष 2007–08 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।

3– वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।

4– गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।

5– बालक /बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर परतथा 2010 तक उ0प्रा0 स्तर पर नामांकन ठहराव व सम्प्राप्ति मे अन्तर समाप्त करना।

6– वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

नामांकन के लक्ष्य

वाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधाः–

वर्ष 1991 की जनसंख्या के आकड़ों के आधार पर मानते हुए विगत वर्षो में जनपद में हुई जनसंख्या वृद्धि के आधार पर जनपद की वार्षिक वृद्धि कीदर ज्ञात की गई। जनपद आजमगढ़ की वार्षिक जनसंख्यावृद्धि दर 2.004 प्रतिशत है। इसदर पर वर्ष 2010 तक प्रत्येक वर्ग की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित हो गई है।जनगणना 2001 की आयु वर्ग वार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं अतःवर्ष 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001–02 तथा उसके आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में
6–11 वर्ष की वाल संख्या ज्ञात करने के लिए 14.9 प्रतिशत तथा 11–14 वर्ष के वच्चों की वाल संख्याज्ञात करने 6.2 प्रतिशत का अनुपात लिया गया है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी0ई0आर0 को आधार मानते हुए वर्ष 2010 तक का जी0ई0आर0 प्रक्षेपित किया गया है। प्रक्षेपित जी0इ0आर प्रक्षेपित वाल संख्या से वर्ष का नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। वर्ष 2002 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6–11 एवं 11–14 वयवर्ग की बालसंख्याका नामांकन निम्नवत है।

(37/1)

प्रा0स्तर पर नामांकन के लक्ष्य:

क्रमांक	वर्ष	6–11 वर्ष के कुल बच्चे	कुल नामांकित बच्चे	विद्यालय से बाहर जो बच्चे वि0नहीं आ रहे है। वर्षवार	एन0ई0 आर0
1	2003–04	662172	655438	6737	98.9
2	2004–05	676739	676739	....	100
3	2005–06	691627	676739	....	100
4	2006–07	706842	676739	....	100

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य:

क्रमांक	वर्ष	11 –14 वर्ष के कुल बच्चे	कुल नामांकित बच्चे	विद्यालय से बाहर जो बच्चे वि0नहीं आ रहे है। वर्षवार	एन0ई0 आर0
1	2003–04	324856	322412	2444	99.2
2	2004–05	332002	332002	....	100
3	2005–06	339306	339306	....	100
4	2006–07	346770	346770	....	100

ड्राप आउट का लक्ष्य:–

वर्ष	ड्राप आउट प्रा0 स्तर	ड्राप आउट उ0प्रा0 स्तर
2001–02	33	17
2003–04	25	14
2004–05	16	11
2005–06	5	6
2006–07	0	0

पांच विकास खण्डों के पांच–पाचं प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के ड्राप आउट को आधार मानते हुए उक्त सारणी तैयार की गयी है।

सम्प्राप्ति लक्ष्य:–

भाषा गणित का वर्षवार सम्प्राप्ति लक्ष्य अध्याय 9 के पृष्ठ संख्या ..... दिया गया है।

जेण्डर विभेद लक्ष्य :– आजमगढ़ जनपद की स्थिति इस समय उत्साहवर्द्धक है तथा देश–प्रदेश के परिदृश्य से बिल्कुल अलग है। इस जनपद में बालिकाओं का नामांकन अनुपात बालकों के नामांकन अनुपात 89.8 के सापेक्ष 96.9 है।

सामाजिक विभेद लक्ष्यः– बालिका शिक्षा के तरह ही इस जनपद में नामांकन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक

विभेद परिलक्षित नहीं होता हैं

अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन अनुपात 86.7 है और सामाजिक विभेद नामांकन में कहीं से आड़ें नहीं आता हैं।

अध्याय – 5

समस्यायें एवं रणनीतियां:–

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रकिया पूर्णतया विकेन्द्रीकरण कृत रूप में अपनायी गयीहै। और ग्राम/बस्ती आधारित कार्यक्रम का नियोजन किया गया है। शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गो, शिक्षकों,ग्राम प्रधान अभिभावकों आदि के साथ ग्राम पंचायत,न्याय पंचायत विकासखण्ड तथा जनपद स्तर पर बैठके कर ली गयी हैं। इन बैठकों में विचार–विमर्श केबाद प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यसमस्यायें व मुद्दे निम्न उभर कर आये हैं। इन समस्याओं के समाधान में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली रणनीतियां इस प्रकार है।

कमांक	मुददं	रणनीतियां
1	2	3
1.	(शिक्षा की पहुँच) असेवित बस्तियों में विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं।	सर्वेक्षण के आधार पर 300 से अधिक आबादी वाले 196 असंवित बस्तियों के लिए 126 विद्यालयखोले जा चुके हैं और 53 प्रा0 विद्यालय एस0एस0 योजना बनाये जाने हैं। जनपद में सम्प्रति1766 परिषदीय प्रा0वि0 612 मान्यता प्राप्त प्रा0वि0 है। इस प्रकार प्रा0वि0 की कुल संख्या 2431 है।उ0प्रा0वि0 की संख्या 257 परिषदीय तथा 416 मान्यता प्राप्त मिलाकर 673 हैं। 70 नवीन उ0प्रा स्वीकृत है। जो खोले जायेगें।
2	300 से कम आबादी वाली जिन बस्तियों में 1.5 किमी0 केअन्तर्गत कोई शैक्षिक सुविधानहीं	इन बस्तियों के लिए 325 ई0जी0एस0 केन्द्र स्थापित किये जायेगें।
1	(ख)नामांकन संबन्धी– समुदाय मे बच्चों के नियमित पठनपाठन की किया के प्रति जागरूकता नहीं हैं।	ग्राम शिक्षा समितियों को सकिय करते हुए विद्यालयों द्वारा रैली तथा शिक्षा सप्ताह का आयोजन करते हुए जन जागृति तथा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
2	समाज के कुछ वर्ग विपन्नता से प्रभावित हैं	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अभिभावकों को बच्चों से कार्यन लेने तथा विद्यालय भेजने हेतु विद्यालयों में समाजोपयोगी कार्य हेतु बल दिया जायेगा।
1	(ख)नामांकन संबन्धी– समुदाय मे बच्चों के नियमित पठन पाठन की प्रकिया के प्रति जागरूकता नहीं हैं।	ग्राम शिक्षा समितियों को सकिय करते हुए विद्यालयों द्वारा रैली तथा शिक्षा सप्ताह का आयोजन करते हुए जन जागृति तथा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
2	समाज के कुछ वर्ग विपन्नता से प्रभावित हैं	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अभिभावकों को बच्चों से कार्यन लेने तथा विद्यालय भेजने हेतु विद्यालयों में समाजोपयोगी कार्य हेतु बल दिया जायेगा।

3	छात्र को दी जाने वाली सुविधाओंप्रोत्साहनों के सहयोग की कमी।	छात्र नामांकन में वृद्धि स्थायी ठहराव में उत्साहवर्द्धक सुधार के लिए पोषाहार छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठय पुस्तकों के वितरण में यथा सम्भव सुधार किया जायेगी।
1	(ग)ठहराव सम्बन्धी– जनसहयोग एवं समर्थन की कमी	सामाजिक रूढ़ियों तथा विद्यालय के प्रति अभिभावकों की उदासीनता को समाप्त करते हुए बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए जन सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
2	विद्यालय सौन्दर्यीकरण तथा वाता वरण में आकर्षण का अभाव।	इस दिशा में सुझावात्मक कार्यवाही की जायेगी। तथा कृत कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु चहारदीवारी का निर्माण आवश्यक होगा। समुदाय के सहयोग से चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा।
3	पेयजल/शौचालय का अभाव–	शौचालय विहीन 969 प्रा0वि0 तथा 50 उ0प्रा0वि0 तथा पेयजल सुविधा विहीन 104 प्रा0वि0 एवं उ0प्रा0वि0 25है। इनमें व्यवस्था की जायेगी।
4	उपयुक्त भवन,कक्षा कक्ष साज सज्जातथा शिक्षकों की कमी–	प्राथमिक स्तर पर 1138 कक्षा कक्ष तथा उ0प्रा0वि0 में 100 की आवश्यकता है तथा साथ ही प्रा0वि0 में 2547 और उ0प्रा0वि0 अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी।
1	गुणवत्ता सम्बन्धी– नवीन पाठ्यकमानुसार शिक्षकों के ज्ञानमें कमी–	इसमें सुधार हेतु प्रतिवर्ष सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2	विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षणअनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण का अभाव	इस हेतु पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
3	निरीक्षण अधिकारियों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण का न होना।	इसकी व्यवस्था करायी जायेगी।
4	समुदाय में पठन पाठन प्रकिया के समुचित ज्ञान की कमी।	शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने के साथ ही ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों माता शिक्षक, अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन के सदस्यों को गुणवत्ता सम्बन्धी कार्यकमों से परिचित कराया जायेगा।
5	शिक्षकों में सहायक शिक्षण सामग्री केनिर्माण एवं उपयोग कौशल का अपर्याप्तहोना।	शिक्षण सहायक सामग्री हेतु प्रतिवर्ष अनुदान दिया जायेगा तथा उसके प्रयोग की जानकारी दी जायेगी।
6	शिक्षकों का गैर शैक्षिक कार्यो में व्यस्त होना।	शिक्षकों की गैर विभागीय कार्यो तथा सूचनाओं का संकलन भवननिर्माण पोषाहार वितरण, निर्वाचन, पल्स पोलियों, जनगणना सम्बन्धी कार्य आदि में व्यस्तता को कम करने की आवश्यकता होगी।

हाउस होल्ड सर्वे के अन्तर्गत 6 -- 11 के कुल 6737 तथा 11 – 14 के 2444 बच्चों के लिए जो स्कूल में नामांकित नहीं है ई0जी0एस0, ए0 आई0 ई0 आदि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अध्याय–6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार :

1– जनपद में पूर्व सर्वेक्षण वर्ष 1998 के अनुसार जो असेवित बस्तियां चिन्हित की गई तथा वहां पर प्रा0वि0
की स्थापना राजकीय मानक के अनुसार हो सकती है। उसमें से सन् 2003 तक जनपद में डी0पी0ई0पी0–।।। के अन्तर्गत 126 में प्रा0वि0 बनाये जा चुके हैं। वर्तमान में 53 प्रा0वि0 एस0एस0ए0 के अन्तर्गत खोलने की कार्यवाही चल रही है।
2– उ0प्रा0 स्तर पर नवीन विद्यालय प्रति दो प्रा0 वि0 पर एक उच्च प्रा0 वि0 की स्थापना की जानी है। उच्च प्रा0वि0 पर एक प्र0अ0और 4 स0अ0 की जायेगी।

कमांक	विद्यालय का नाम	ग्रामीण	नगर
1	वर्तमान में प्रा0वि0 की संख्या	1734	32
2	नवीन प्रा0विद्यालय	53	0
3	1 :2 के अनुपात के अनुसार उ0प्रा0वि0की आवश्यक संख्या	725	C
4	वर्तमान में उपलब्ध प्रा0वि0	327	0
5	कुल आवश्यकता	–	0

शिक्षक की व्यवस्था:–

प्रत्येक नवीन प्रा0वि0 में एक प्र0अ0 तथा एक स0अ0 की व्यवस्था प्रस्तावित है जो उत्तरोत्तर छात्र संख्या के अनुपात में बढ़ायी जायेगी। प्रत्येक नवीन उ0प्रा0वि0 में एक प्र0अ0 तथा 4 स0अ0 सहित कुल 5 अध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रा0तथा उ0प्रा0स्तर परशिक्षकों की आवश्यकता से सम्बन्धित प्रक्षेप सारणी आगे संलग्न है। चारअध्यापकों में से एक विज्ञान एवं गणित तथा बाकी शिक्षा को प्रभावित करने हेतु 50 प्रतिशतमहिला शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी।

क0सं0	वर्ष	परिषदी कुल वि0	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
1	2002–03	257	1285	0	0
2	2003–04	327	1635	1285	350
3	2004–05	327	1635	1635	0
4	2005–06	327	1635	1635	0
5	2006–07	327	1635	1635	0

अध्यापकों की आवश्यकता प्राथमिक विद्यालय :–

वर्ष	छात्र संख्या	1.40 वांछित अध्यापक संख्या	स्वीकृत अध्यापक संख्या			आवश्यकता		
			अध्यापक	शिक्षामित्र	योग	अध्यापक	शिक्षामित्र	योग
2003–4	415093	10377	7971	2288	10259	59		118
2004–05	424225	10605	8030	2347	10377	114	173	228
2005–06	433558	10839	8144	2461	10605	117	117	234
2006–07	443096	11077	8261	2578	10839	119	119	238

नवीन प्राथमिक विद्यालय साज–सज्जा:–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्तिहेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा– मेज,कुर्सी,बाल्टीघण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, आलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्वेप्मेन्ट (ढोलक,मजीरा, हारमोनियम, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान, किट,मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि)। उक्त सामग्रीकी व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी, किन्तु ग्रामीण अंचलों में विज्ञान किट, गणित किट, सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाते है, इसलिए इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उ0प्र0 विद्यालय साज–सज्जा :–

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रम किया जायेगा– मेज,कुर्सी,बाल्टीलोटा,गिलास घण्टा, कुड़ादान, म्यूजिकल, इक्यूप्मेन्ट, (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि), क्रीडा सामग्री (फुटबाल, वालीवाल, स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प, क्लास रूम टीचिंग मैटीरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, ज्ञान कोष, टू–इन–वन, आदि–आदे तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी)।

पेयजल शौचालय एवं चहारदीवारी:–

नवीन प्रा0एवं उ0प्रा0विद्यालयों मे स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प लगाये जायेगें। प्रत्येक विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।

बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तथा विद्यालय प्रागण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से

स्थानीय उद्देश्य से चहारदीवारी का निर्माण का कराया जायेगा।

निर्माण कार्यदायी संस्था:–

सामुदायिक संस्था एवं विद्यालयों के प्रति स्व की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समितियों को दायित्व सौपा गया है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्थाः—

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति 2 प्रा0वि0 पर एक उ0 प्रा0वि0 की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्रा0वि0 में आवश्यक भूमि भवन हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा सम्भव उपलब्ध है। जनपद में नवीन उच्च प्रा0वि0 खोलने की योजना :2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उ0प्रा0विद्यालयों स्थापना वर्त—मान प्रा0विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्रा0 वि0 के परिसर में ही की जायेगी। जिससे प्रा0वि0 में उपलब्ध भूमि,भवन हैण्डपम्प,शौचालय चहारदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरूप नवीन उच्च प्रा0वि0 की स्थापना में हैण्डपम्प शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षणः—

प्रथमतः उ0प्रा0वि0 की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के आधार पर की जायेगी। बस्ती में छात्र—छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद मे उ0प्रा0 विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा। जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षणकार्य के लिए रू0—200000/—(दो लाख रूपया) का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया हैं । सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षणः—

विद्यालय भवन, शौचालय हैण्डपम्प, चहारदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कियेजायेगें। निर्माण का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/लघु सिचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा। इस संबंधमें आवश्यक व्यस्था का विवरण अध्याय 10 परियोजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया है।

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं** उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

अध्याय–7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार:–

शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा एर्व शिक्षा अभियान में अनौ0शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करते हुए शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा को संचालित किया जा रहा है।

अनौपचारिक शिक्षा:–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु औपचारिक प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ 6–11 वय वर्गके विद्यालय न जाने वाले या बीच में विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के समतुल्य शिक्षा
उपलब्ध कराते हुए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु वर्ष 1979–80 से मार्च 2001 तक अनौपचारिक शिक्षा योजना चलायी गयी। जनपद आजमगढ़ के 15 विकासखण्डों में अनौपचारिक शिक्षा संचालित थी। इस योजना सेउपलब्धिया तो हुई किन्तु जिन संकल्पनाओं, अपेक्षाओं, एवं आकाक्षाओं के साथ यह कार्यकम संचालित किया गयाथा उतनी परिलब्धियां नहीं रही। 6–8 वयवर्ग के स्कूल न जाने वाले बालक बालिकाओं को शिक्षा गारन्टी योजनाके अन्तर्गत कक्षा–1 व 2 की शिक्षा देकर प्रा0वि0 में कक्षा 3 में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। शिक्षा गारन्टी योजना के इस केन्द्र का स्वरूप औपचारिक विद्यालय की भांति होगा।

जनपद में शैक्षिक संस्थाओं की पर्याप्त व्यवस्था डी0पी0ई0पी0 के द्वारा संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन के बावजूद न जाने वाले 9–14 वर्ष के वय वर्ग की पर्याप्त संख्या है इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्कूल से बाहर बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा द्वारा ब्रिज कोर्स करने के लिए श्रेणीवार नियोजन किया जा रहा है।

बाढ़ ग्रस्तता:—

आजमगढ़ जनपद के महराजगंज,हरैया विकासखण्ड लगभग पूरी तरह से 6 महीने तक बाढ़ग्रस्त तथा जलभराव से प्रभावित रहते हैं तथा विकासखण्ड आजमगढ़ का 1/5भाग भी बाढ़ एवं जलभराव से प्रभावित रहता है।बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अध्यापकों की निरन्तर कमी रहती है। तथा प्रमाणिक समय में विद्यालय लगभग बन्द रहते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में कुछ बस्तियां ऐसी है जो प्राकृतिक अवरोध के कारण वहां के बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते।

इसलिए यहां पर बड़ी संख्या में ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों की आवश्यकता है।

स्थानीय अध्यापकों की कमी:—

आजमगढ़ जनपद के मार्टीनगंज,ठेकमा,लालगंज फूलपुर,पवई,अहरौला,मिर्जापुर ऐसे विकासखण्ड हैं जहां स्थानीय अध्यापकों की संख्या नगण्य है। यहां के प्रा0विद्यालयों पर दूसरे ब्लाक के अध्यापकों की नियुक्ति होती हैऔर वे अपने सुविधाजनक स्थान पर स्थानान्तरण करा लेते हैं। जिससे इन विकासखण्डों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की प्रायः कमी बनी रहती है। इससे यहां शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसप्रकार विकास खण्डोंमें अत्यधिक औपचारिक वैकल्पिक शिक्षा की पुखता व्यवस्था की आवश्यकता है।

शिक्षा गारण्टी योजना(ई0जी0एस0):—

इस योजना के अन्तर्गत 6–8 वय वर्ग के बच्चों हेतु विद्यालय से एक किमी0 के परिधि के बाहर

ग्राम/बस्ती में शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र स्थापित किये जायेगें। जहां की संख्या कम से कम 30होगी।इस केन्द्रों मेंकक्षा–1 तथा 2 तक की पढ़ाई होगी।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा:—

जिन ग्राम/बस्तियों में 20 ऐसे बालक/बालिका 9—14 आयुवर्ग के उपलब्ध हो जो शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हो वहां पर वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेगे। ऐसी स्थिति सामान्यतया ड्राप—आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण मनोवैज्ञानिक दबाव/झेंप के कारण उत्पन्न होती है।

उक्त सभी केन्द्र प्रतिदिन 4 घंटे संचालित किये जायेगें और यह अवधि विद्यालय समय में ही होगी।

अनुदेशक चयन:—

जहां पर ई0जी0एस0/ए0आई0एस0 केन्द्र संचालित होगें। वहीं के समुदाय का स्थानीय व्यक्ति अनुदेशक पद के लिए अर्ह होगा जिसमें महिलाओं को वरीयता दीजायेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशकके वयन की कार्यवाही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा की जायेगी। जिसमें हाईस्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को वरीयता दी जायेगी। अनुदेशक का कार्य संतोषजनक होने पर ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव पर ही उसे2/3 बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा अधीक्षक नगरक्षेत्र, सभासद सम्बन्धित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/ शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उ0प्रा0स्तर के केन्द्रों के अनुदेशक के लिए न्यूनतमशैक्षिक योग्यता तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी। स्नातक अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक का प्रशिक्षण:—

चयनित अनुदेशको का एक माह का प्रशिक्षण जिलाशिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशक का मानदेय:–

चयनित अनुदेशकों को रू0–1000/– प्रतिमाह की दर ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से चेक द्वारा मानदेय उपलब्ध कराया जायेगा। नगरक्षेत्र में शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूपसे मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री:–

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एवं शिक्षक सामग्री तथा पाठ्य पुस्तके ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी प्रा0 केन्द्र में 845 तथा उ0प्रा0केन्द्र हेतु रू0 1200/– शिक्षण सामग्री के मद पर व्यय की जायेगी।

मूल्यांकन:

वैकल्पिक एवं शिक्षा गारण्टी केन्द्रों पर पढ़ने वाले बच्चों का सतत एवं नियमित तिमाही,छमाही और

वार्षिक, मौखिक/लिखित परीक्षा के आधार पर मूल्याकन किया जायेगा। तथा प्रयास किया जायेगा कि वे जिस कक्षा के योग्य हैं। औपचारिक विद्यालय के मुख्य धारा से जोड़ दिया जाय। आजमगढ़ जनपद में प्रस्तावित शिक्षा गारण्टीयोजना केन्द्रों की संख्या–शिक्षा गारण्टी योजना ग्राम/बस्तियां जिनकी जनसंख्या 300 से अधिक है तथा प्रा0 विद्यालयों की दूरी 1.00 किमी0 से 1.50 किमी. है। वहां पर यह केन्द्र खोले जायेगें।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 का वर्षवार विवरण

वर्ष	2004–05	2005–06	2006–07
ई.जी.एस.प्रा स्तर	107	100	60
ए.आई.ई	30	25	20
ए0आई0ई0उच्चप्रा 0स्तर	50	50	50

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अनौपचारिक केन्द्र

ई0जी0एस0	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	संचालित केन्द्र	2002–03 से संचालित होने वाले केन्द्रों की संख्या	नामांकित बच्चों की सख्या		
				बालक	बालिका	योग
ई0जी0एस0	200	200	50	3887	4086	7973
वैकल्पिक केन्द्र	100	100	100	1714	1874	3588
मकतब	–	–	–	–	–	–

अध्याय–8

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में अब तक के अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बालक बालिकाओं का विद्यालय में पंजीकरण तो हो जाता है। कतिपय कारणों से ठहराव में वृद्धिन होने के कारण ड्राप आउट की समस्या आती है। सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि करने के लिए कारगर प्रयास किये जा रहे है। जिनमें मुख्य प्रयास निम्नांकित है–

सारणी–8.1

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता (मांग)

कमांक	आइटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर	उ0प्रा0 स्तर
1	विद्यालय पुनर्निमाण	49	5
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1138	91
3	पेयजल की सुविधा	104	25
4	शौचालय	969	50

विद्यालयों की सुविधायें:–

प्रा0वि0 के भवन की रख–रखाव हेतु रूपये प्रतिवर्ष 2000.00 दिया गया है। जनपद के प्रा0वि0 में

1138 अतिरिक्त कक्षा कक्षों उच्च प्रा0वि0 में 91 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निमार्ण होना है। इसके उपरान्त सभी प्रा0 वि0 तीन कक्षीय तथा उच्च प्रा0 वि0 चार कक्षीय हो जायेगें।

शौचालय:–

जनपद के उ0प्रा0 विद्यालयों में 50 ऐसे विद्यालय है जहां शौचालय की आवश्यता है। प्रा0विद्यालयों में 969 शौचालयों की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में जर्जर भवनः–

जनपद में 5 उ0प्रा0विद्यालय ऐसे है जिसमें भवन शिक्षण कार्य हेतु सुरक्षित नहीं है। 2004–05 में पुनः निर्माण हेतु लक्ष्य 5 रखा गया है।

पेयजल व्यवस्थाः–

जनपद में प्रा0विद्यालयों 104 तथा उच्च प्रा0स्तर पर 25 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा नहीं है। सत्र 2004–05 में सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

चहारदीवारीः–

विद्यालयों का सुन्दरीकरण बच्चों को विद्यालय को आकर्षित करता है। विद्यालय बागवानी तथा विद्यालय की सामग्री सुरक्षा हेतु चहारदीवारी की आवश्यकता ही चहारदीवारी होने से अतिक्रमण भी हो सकता है। जनपद में चहारदीवारी की प्रा0स्तर एवं उ0प्रा0स्तर पर आवश्यकता है। जिसे समुदाय के सहयोग से बनवाया जायेगा।

भवन की मरम्मत :–

विद्यालय भवन का रख–रखाव ग्राम शिक्षा समिति के ऊपर है। 10 वर्ष के पूर्व निर्मित भवनों के मरम्मत की आवश्यकता पड़ रही है। भवन मरम्मत हेतु प्रति विद्यालय रू0–40000/–(चालीस हजार रू0) उपलब्ध करायी जा रही है। 100 प्रा0विद्यालय मरम्मत योग्य हैं तथा 49 उ0प्रा0 विद्यालय मरम्मत योग्य है। भवन मरम्मत को दो श्रेणियों में रखा गया हैं लघु मरम्मत तथा दीर्घ मरम्मत।

बालिका शिक्षाः–

1991 की जनगणना के राष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों एवं महिलाओं की साक्षरता कमशः 64.2 तथा

39.29प्रतिशत है। जब कि उ0प्र0 में पुरूषों तथा महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 55.73 और 25.31प्रतिशत हैं जनपद आजमगढ़ की कुल साक्षरता दर 39.2 है जिसमें 56.1 प्रतिशत पुरूष और 22.7 प्रतिशत महिलायें हैं। ग्रामीण महिला साक्षरता 20.8 तथा नगरीय महिला साक्षरता दर 47.8 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के कुल नामांकन अनुपात में 1996–97 से 1999–2000 के मध्य 14.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण 1999–2000 में बालिकाओ के जी0ई0आर0 में
98 प्रतिशत की वृद्धि है जो 1996–97 में80.4 प्रतिशत थी। किसी भी राष्ट् का विकास वहां की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होताहै। कहा जाता है कि एक महिला के शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिकाशिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसके लिए बालिकाओं का 100 प्रतिशत नामांकन जरूरी है। नामांकन हेतु चलाये गये विभिन्न अभियानों और ग्राम स्तर के व्यक्तियों से चर्चा केदौरान समाधान के लिए बालिकाओं को विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

माडल कलस्टर डेवलमेन्ट अप्रोचः–

बालिका शिक्षा उन्नयन शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करने के उद्देश्य से जनपद आजमगढ़ के न्यूनतम महिला साक्षरता की दृष्टि से चयनित तीन विकासखण्ड सठियांव,हरैया,महराजगंज में वर्ष 2000–01में 5 माडल कलस्टरों का चयन किया गया एवम वर्ष 2001–02 में 10 माडल कलस्टरों का चयन किया गया ताकि इनमें बालिका शिक्षा से सम्बन्धित कार्यकमों को समन्वित रूप से संचालित किया जा सके। इन 15 माडल कलस्टरों में मीना कैम्पेन, ग्रीष्मकालीन शिविरमां बेटी मेला, माता शिक्षक संघ, महिला प्रेरक समूह, ठहराव परिक्रमाएवं बच्चों का तारांकन ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण ग्राम शिक्षा योजना तथा सूक्ष्म नियोजन से संबंधित कार्य कम संचालित किये जो रहे है। इनके अपेक्षित परिणाम

मिलने शुरू हो गये हैं। सर्व शिक्षाअभियान में इन कार्यकमोंका विस्तार उच्च प्राथमिक स्तर तक कर शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण किया जायेगा। साथ ही माडलकलस्टरों में पी0आर0ए0 भी कराया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत माडल कलस्टर डेवलमेन्ट एप्रोच के अन्तर्गत माडल कलस्टरों की संख्या में वृद्धि की जायेगी एवं इसहेतु नवीन माडल कलस्टरों का चयन निम्न महिलासाक्षरता एवं शाला त्याग की अधिक दर एवं निम्न बालिका नामांकन के आधार पर कियाजायेगा।वर्ष 2004–05 में 10, 2005–06 में 10 एवं 2006–07 में 10 नये माडल कलस्टरों के चयन का लक्ष्य रखा गया है। प्रति माडल कलस्टर 75 हजार की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अधीन उच्च प्राथमिक स्तर के बालक बालिकाओं को भी लक्ष्य समूह में सम्मिलित करते हुए उनके शत–प्रतिशत नामांकन एंव शालात्याग की दर को न्यूनतम करनेहेतु विभिन्न कार्यकम चलाये जायेगें। इसके अन्तर्गत मां–बेटी मेलेका आयोजनमीना बीडियों फिल्म श्रृखंला का आयोजन माता शिक्षक संघ का गठन एवं प्रशिक्षण तथा महिला पेरक समूह का गठन और प्रशिक्षण कराया जायेगा।

वर्ष–वार विवरण

माडल कलस्टर नवीन चयन	2004–05	2005–06	2006–07
	10	10	10

ग्रीष्मकालीन शिविरः–

शालात्यागी एवं विद्यालय से बाहर रह गये 9 की बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ग्रामपंचायत स्तर पर न्यूनतम 30 एवं अधिकतम 40 बच्चों की उपलब्धता पर ग्रीष्मकालीन शिविर का आयेाजन किया जायेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।।। के अन्तर्गत वर्ष 2001–02 में 109 एवं 2002–03 में 9 ग्रीष्म काजीन शिविरों को आयोजन कर लगभग 4250 बच्चों को शिक्षा आयोजन कर लगभग 4250 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया। 2003–04 में 9 ग्रीष्मकालीन शिविरों के आयोजन द्वारा 370 बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है। 11 ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन कराया जा चुका है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004–05,2005–06 एवं 2006–07 के लिए का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रीष्मकालीन शिविरों के आयोजन

ग्रीष्म कालीन शिविर	2004–05	2005–06	2006–07
	25	25	25

माता शिक्षक संघः–

माडल कलस्टरों के प्रा0वि0 में 10–12 सकिय एवं शैक्षिक दृष्टि से जागरूक माताओं एवं शिक्षकों के समूह का गठन कर माता शिक्षक संघ का निर्माण किया गया है। अब तक ऐसे 40 समूहों का निर्माण किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान में एम0सी0डी0ए0 के अन्तर्गत उ0प्रा0वि0 में भी माता शिक्षक संघ का गठन एवं प्रशिक्षण कराया जायेगा ताकि विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण को सुदृढ़ किया जा सके।

मीना मंच :– जनपद में दस उच्च प्रा0 वि0 में मीना मंच का गढन किया गया है। इसमें विद्यालय में अध्ययनरत एवं विद्यालय से बाहर रह गयी बालिकाओं को इसका सदस्य बनाया जाता है। 20 बालिकाओं की कोर ग्रुप होता है। इस मंच का उद्देश्य बालिकाओं में नेतृत्व का विकास स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूकता, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास तथा नामांकन में वृद्वि एवं भाषा की दर को कम करना है।

वर्ष 2004–05, 05–06 एवं 2006–07 में दस–दस मीना मंचों के गढन का लक्ष्य रखा गया है।

इससे उच्च प्रा0 वि0 की शैक्षिक वातावरण में सुधार लाया जायेगा।

विवरण

मीना मंच	2004–05	2005–06	2006–07
	10	10	10

महिला प्रेरक दल:–

ऐसे गांव/मजरे विद्यालयों से कुछ दूरी पर होगें/हैं जहां बालिकाओं की उपस्थिति और ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाब बनाने का प्रयास करेगें।

ऐसे ग्राम एवं मजरे जहां प्रा0वि0 नहीं है। माडल कलस्टरों के अन्तर्गत 28 महिला प्रेरक समूह बनाये गये हैं। 428 सक्रिय एवं जागरूक महिलायें इनकी सदस्या है। इनके प्रयासों से बालिका नामांकन में वृद्धि करने में मदद मिली है। इनका सहयोग उ0प्रा0 के छात्रों के नामांकन वृद्धि एवं शालात्याग की दर में कमी लाने में लिया जायेगा।

ठहराव परिकमा तथा तारांकनः—

बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिकमा प्रत्येक सप्ताह गांव स्तर पर निकाली जायेगी। जिसके स्कूल के बच्चे अध्यापक व अभिभावक शामिल होगें। ठहराव परिकमा के दौरान जोबच्चे विद्यालय में कम रूकते हैं। उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकरनारे लगाकर बच्चों को विद्यालय आने के लिए दबाव बनाया जायेगा। बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिए हरा पीला लाल तारा निशान प्रतिमाह उनके उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा।

1— माह में 15 दिन या उससे अधिक उपस्थिति हरा निशान।

2— माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति— पीला निशान।

3— माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति— लाल निशान

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को गिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्रामस्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने बैज प्रदानकिये जायेगें।

सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलनः—

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक से छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए नियमित आने वाले बच्चे के अभिभावकों कोसम्मानित करते हुए अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा के सत्रान्त समारोह में गांवों के समस्त अभिभावकोंको बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें। जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं सत्रान्त समारोह के अगले सत्र के लिए अगले बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

कोहार्ट स्टडी:–

अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालय में पिछले 5 वर्षो का शालात्याग दर रजिस्टर से निकालकर ऐसे बच्चों को सूची बद्ध किया जायेगा। जिन्होनें पिछले पांच सालों में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने का प्रयास किया जायेगा।

बेटी हो स्कूल में कला जत्था अभियान–

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। बालिकाएं बीच में विद्यालय न छोड़ दें यह सुनिश्चित कलाकारों को प्रशिक्षित कर गांव–गांव में प्रस्तुतियां की जायेगी। यह अभियान ऐसे गांवों में चलाया जायेगा जहां महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शालात्याग दर अधिकतम है।

शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण:–

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हे संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यकम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

कार्यक्रमः

1– शिशु शिक्षा केन्द्रः–(ई0सी0सी0ई0)

छोटे–भाई बहनों की देख–रेख में लगे रहने के कारण कुछ बालिकाएं विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नहीं दे पाती जिससे विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पाता। कुछ बालिकाएं इन कार्यो में ।अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ देती हैं। डी0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत जनपद में आई0सी0डी0एस0 द्वारा संचालितआंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृत करने का प्रयास किया गया है। आई0सी0डी0एस0 के द्वारा नगर क्षेत्र सहित विकासखण्डों में आंगनवाडी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

वर्तमान में जनपद के कुल आठ विकास खण्डों में 250 के सापेक्ष 244 आंगनवाडी केन्दों को ई0सी0.सी0 के अन्तर्गत सुदृढ़ किया जा रहा है। इन्हें साज–सज्जा, खिलौनों आदि के लिए धनराशि उपलब्ध करायी गयी। साथ ही विद्यालय समायानुसार केन्द्रों के संचालन हेतु कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय भी प्राप्त किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत आगामी वर्षो में नवीन ई0सी0सी0ई0 केन्द्रखोलने का प्रस्ताव नहींरखा गया है। वर्तमान में संचालित 250 ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों को ही सर्वशिक्षा अभियान के तहत बनाया रखा जायेगा। इनके लिए प्रति केन्द्र 1.5 हजार आकस्मिक व्यय एवं 0.375 हजार मानदेय प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है।

शिक्षक–अभिभावक संघः–

सर्वशिक्षा अभियान के तहत जनपद के समस्त परिषदों के गान्यता प्राप्त प्रा0वि0 एवं उच्च प्रा0वि0 में

शिक्षक–अभिभावक संघ का गठन कराया जा रहा हैं। वर्ष 2004–05 में इनके सदस्यों के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया हैं। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय कराया जायेगा।

न्याय पंचायत स्तरीय बाल मेला :–

बच्चों के बीच प्रतिस्पर्द्वात्मक भावना विकसित करने एवं प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत पर बाल मेला का आयोजन कराया जायेगा। वर्ष 2004–05 में जनपद में सभी 280 न्याय पंचायतों पर बाल मेला के आयोजन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रति न्याय पंचायत पांच हजार रूपये की व्यवस्था की गयी है। इसीप्रकार 2005–06 एवं 2006–07 में भी सभी न्याय पंचायतों पर बाल मेला आयोजित किये जायेंगें।

ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण :–

जनपद के सभी 1628 ग्राम समितियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण डी0पी0ई0पी0–तृतीय के अन्तर्गत
कराया जा चुका है। इनका दो दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षिण कराया जायेगा। वर्ष 2004–2005 में 800 ग्रा0 वि0सं0 एव 2004–05 में अवशेष 828 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समिति पुरस्कार :–

ग्राम शिक्षा समितियों से शैक्षिक एवं ौतिक सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रति ब्लाक दो ग्रा0शि0सं0 को पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार जनपद के 22 विकास खण्ड़ों में 44 ग्रा0शि0सं0 को प्रति ग्रा0शि0सं0 25 हजार की दर से प्रति वर्ष पुरस्कार किया जायेगा।

शिक्षामित्र पुरस्कार :–

शिक्षा के सार्वभौमिकरण में ग्रामीण युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रति वर्ष एक शिक्षामित्र को पुरस्कृत किया जायेगा।

अनुसूचित जाति–जनजाति के लिए विशेष कार्यक्रम :–

अनु0जा0/जनजाति के लिए विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत 9–14 वय वर्ग के स्कूली शिक्षा से वंचित इस वर्ग के बच्चों हेतु ब्रिजकोश का आयोजन कराया जा रहा है। ताकि उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जा सके। इसके अन्तर्गत 2004–05 से 2006–07 तक प्रतिवर्ष पांच गैर आवासीय छः माह के ब्रिजकोश के का आयोजन कराया जाता है। प्रति ब्रिजकोर्स 66.7 हजार की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

वर्षवार विवरण

एस0सी0/एस 0टी0 ब्रिजकोर्स	2004–05	2005–06	2006–07
	5	5	5

उच्च प्रा0 वि0 में कम्प्यूटर शिक्षा :–

वाराणसी जिले में प्रयोगात्मक तौर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा का प्राविधान किया गया था जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र की बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव में आशातीत वृद्वि हुई।इसी प्रकार का प्रयोग इस जिले में किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रत्येक वर्ष 10–10 उच्च प्रा0वि0 में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

वर्षवार विवरण

कम्प्यूटर शिक्षा उ0प्रा0वि0	2004–05	2005–06	2006–07
	10	10	10

प्रा0वि0 एवं उ0प्रा0वि0 में स्वास्थ्य परीक्षण :–

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत जनपद के सभी परिषदीय प्रा0वि0 एवं उ0प्रा0वि0 के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। पुनः आगामी वर्षो में स्वास्थय परीक्षण का लक्ष्य रखा वर्षो में स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य रखा है। 2004–05 से 2006–07 तक प्रत्येक वर्ष सभी 2146 प्रा0वि0 एवं उ0प्रा0वि0 के सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रति विधायक 2.5 हजार धनराशि व्यय करने का प्राविधान रखा गया है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता:–

वालिका शिक्षा को वढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्रा0शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया गया जायेगा। जिन विकासखंण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं संचालित है, उन विकास खंण्डों में स्वयं सेंवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सके हैं। इसके अतिरिक्त स्वयसेवी संगठनों द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों के पर्यवेक्षण अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्धकराई जा सकती हैं । स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्ति एवं अनुभवी स्वंय सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगें। इन प्रस्तावों को डेस्क टाप अप्रेंजल तथा फील्ड अप्रेंजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

वर्षवार विवरण

2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
05	05	05	10	10	0	0	0

(60)

2— उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभवः—

शिक्षाग्रहण करने के साथ—साथ उ0प्रा0कक्षाओं में बालिकाओं के पारिवारिक, पारम्परिक एवं गैर—पारम्परिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान शिक्षा—प्रणाली में बालिकाओं हेतु उनके भावी जीवन हेतु उपयोगी कार्यकमों के अभाव से शिक्षा के प्रति उनकी रूचि एवं अभिभावकों की जागरूकता अपेक्षानुकूल नहीं है। शिक्षा प्रणाली में उपर्युक्त कार्यकमों के सम्मिलित हो जाने से निःसंदेह बालिकाओं का विद्यालय के प्रति रूचि बढ़ेगी तथा अभिलेख बालिकाओं केनामांकन एवं उनकी शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक होजायेगें। सिलाई—कढाई, बुनाई, कला चित्रण के साथ—साथ स्थानीय आवश्यकताकेअनुसार टोकरियां बनाने, मिट्टी के खिलौने, कागज के सामान आदि बनाने के प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा।

वर्षवार विवरण

2004—05	2005—06	2006—07
25	25	25

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यकमः—

"प्री प्रोजेक्ट एक्टिीविटी के संदर्भ में विभिन्न विभागों जिला अर्थ एवं संख्या विभाग, विकलांग, कल्याण विभाग, पंचायत राज विभाग, महिला एवं बालविकास विभाग, महिला समाख्या एवं स्वयं सेवी संगठनों के सहयोगएवं समुदायों के साथ विचार—विमर्श एवं सहभागिता के द्वारा आंकड़ों का संकलन वातावरण सृजन किया गया, साथ ही योजना के संचालन कियान्वयन में भी इनके सदुपयोग से सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आंकड़ों के संकलन एवं उसके विश्लेषण में विभागीय गतिशीलता के साथ अर्थ एवं संख्या विभाग के सहयोग से जनांकिकी सम्बन्धी मूलभूत आंकड़ोंका संकलन किया गया, जब कि विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से समेकित शिक्षा हेतु 6–11 एवं 11–14 वयवर्ग के विकलांग बच्चों की सूची प्राप्त की गयी। पंचायत राज विभाग के सहयोग से ग्रामों एवं बस्तियोंकी सूची प्राप्त की गयी । डूडा के सहयोग से मलिन बस्ती की सूची प्राप्त की गयी।

6–14 आयु वर्ग बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सकिय भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक है। नगरीक्षेत्र में मलिन बस्तियों की संख्या अधिक होने के कारण निरक्षरबच्चों की सं0 गांव एवं नगर दोनों में अधिक है। गांव में नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये। बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले गये। शिक्षा के विकन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एवं समुदाय की सकिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में गर्ल शिक्षा समिति तथा नगर में वार्डवार नगर शिक्षा समिति गठित की गयी। शौक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्ध अधिकतर शिक्षा समितियों को प्रदान किये गयें।

वातावरण सृजन–

नियोजन प्रकिया के दौरान जनपद की विभिन्न बस्तियों एवं समुदाया के साथ विचार–विमर्श एवंउनका सहयोग प्राप्त कर योजना को मूर्त रूप दिया गया। इन समुदायों के साथ विचार–विमर्श के दौरान इस अभियान के उद्देश्यों एवं शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में विस्तृत एवं व्यापक चर्चा की गयी।

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :—

ग्राम शिक्षासमितियों एवं नगर शिक्षा समितियों की सक्रिय भागीदारी हेतु इनके प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है इसमें नवनिर्वाचित समितियें का संदभ प्रशिक्षण पुनः प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं 5 वर्ष के अन्तराल पर नवीन चयनित शिक्षा समितियों का संदर्भ प्रशिक्षण एवं उन्हें भी प्रति दो वर्ष पर पुर्नाबोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाना है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक :—

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी वर्ग की बालिकाओं एवं अनु0जाति के बालकों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनका ठहराव सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को सर्व शिक्षाअभियान के अन्तर्गत उपलब्ध करायीं जायेंगी।

वर्षवार विवरण

वर्षवार	2004—05	2005—06	2006—07
प्रा0वि0	306533	313276	320168
उ0 प्रा0वि0	47000	57000	67000

विद्यालयों की स्थिति उन्नति करने में सामुदायिक भूमिका:—

सूक्ष्म नियोजन उपरान्त विद्यालय में जो समस्यायें हैं उनका निराकरण करने में लोग सहयोग प्रदानकरगे। ऐसीव्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जहां विद्यालय के लिए भूमि नहीं है। अथवा कम भूमि है। वहां पर ग्रामवासियों के सहयोग से भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। बच्चों को खेलने के लिए मैदान उपलब्ध

कराया जायेगा तथा इस बात की जानकारी करायी जायेगी कि बिना खेल के बच्चा खेल नहीं सकता। अतः खेल का मैदान आवश्यक है।

विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगाः–

आकर्षक परिवेश हेतु बागवानी का विशेष महत्व हैं। इसके लिए वृक्षारोपण पुष्पवाटिका हेतुजानकारी लोगों की सहायता ली जायेगी। उन्हीं से पौध आदि की व्यवस्था कराकर विद्यालय में उनका रोपण कराया जायेगा। उद्यान विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा।

साज–सज्जा में सहयोगः–

विद्यालय में फर्नीचर टाट–पट्टी श्यामपट्ट चाक शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम के जानकार एवं अनुभवी लोगें की मदद ली जायेगी। तथा ग्राम शिक्षा समिति की मदद ली जायेगी। गरीब बच्चों के लिए समुदाय के लोगों से उनके गणवेश,स्लेट पंन्सिल कापी आदि सामग्री की व्यवस्था के लिए सहयोग लिया जायेगा। प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने की व्यवस्था की समुदाय से करायी जायेगी।

विद्यालय सुदृढ़ीकरण में सकियताः–

कक्ष निर्माण, भवन की मरम्मत, चहारदीवारी निर्माण मिट्टी भराव विद्यालय प्रागण की भूमि ऊची नीची होने पर समतल करने हेतु समुदाय का सकिय सहयोग लिया जायेगा।

विद्यालय परिवेश निर्माण में सहयोगः—

वातावरण एवं परिवेश आकर्षक बनाने में बच्चों के गणवेश का विशेष महत्व है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों,अभिभावकों एवं जानकार लोगों की मदद से विद्यालय में गरीब बच्चों की मदद के लिए गणवेश की व्यवस्था करायी जायेगी। जिससे बच्चे अलग से आकर्षक एवं शिष्ट लगे। और अन्य बच्चों से उनकी पृथक से विशिष्ट पहचान हो तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों को अपराध भावना से देखें और स्वयं भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो सकें।

राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वो पर चेतना जागृतिः—

राष्ट्रीय पर्वो में प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यकम व जनसहयोग लिया जायेगा। अपवंचित वर्ग के अभिभावकों एवं बच्चों को इससे जोड़ा जायेगा। प्रतियोगिता आयोजित कर सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर इन्हे प्रोत्साहित किया जायेगा।

अध्यापक सहयोगः— समुदाय के शिक्षित लोगो को इस बात के लिए प्रेरित कियाजायेगा कि वे विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए समय दें तथा अध्यापक के कार्य में सहयोग करें।

विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण में सहयोगः—

ग्राम के सम्मानित व्यक्ति शिक्षित एवं जागरूक अभिभावकों को इस बात केलिए गतिशील बनाया जायेगा कि वे अपना विद्यालय का सतत पर्यवेक्षण करते रहे और मासिक रूपसे अनुश्रवण भी करे। तथा शैक्षिक गुण वत्ता में उत्तरोत्तर संवर्द्धन हेतु अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।

सर्व शिक्षा अभियान मे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है।** **पंचायती**राज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का** गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

सामुदायिक गतिशीलता में स्वय सेवी संगठनों की सहभागिता:–

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीयसमुदाय में बच्चों की शिक्षा की प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गयेहैं इन कार्यक्रमों से स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा । विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षणग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रकिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लिए जनपद स्तरपर निर्धारित प्रकिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जायेगी। जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्ति एव अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगे। इन प्रस्तावों को डेस्क ट्राप अप्रेंजल तथा फील्ड अप्रेंजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षा में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

समेकित शिक्षा :–

भारतवर्ष में पूर्व के समय में बच्चों की विकलांगता एक अभिषाप माना जाता था परन्तु समय परिवर्तन के साथ शैक्षिक रूप से जागरूक विशिष्टि व्यक्तियों द्वारा यदि उनके परिवार में कोई विकलांग है तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था जो कि बहुत कम स्थानों पर उपलब्ध थी, सुलभ करवा की जाती थी। ऐसे पिछड़े वर्ष वर्ग एवं ग्रामीणअचल के लोगों की पहुँच से यह सुविधा बाहर थी। विगत वर्षों में समेकित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया तथाअलग से बाल गणना में विकलांग बच्चों का सर्वे कराया गया। सर्वे के अनुसार भारत वर्ष की सम्पूर्ण बच्चों

की संख्या का लगभग 9 प्रतिशत बच्चे किसी ने किसी प्रकार के विकलांगता से ग्रसित है। इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था (समेकित शिक्षा के नाम से) की गयी जिस पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष महत्व दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण, उनकी शिक्षा हेतु शिक्षकों काप्रशिक्षण, विकलांग बच्चों को आवश्यकतानुसार उपकरण की व्यवस्थाएवं इस कार्य हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदार सुनिश्चत करने की व्यवस्था की गयी है। विकलांग बच्चों के शिक्षा हेतु सर्व प्रथम विकलांग बच्चों का कक्षावार एवं विकलांगवार सर्वेक्षण कार्य कराया गया इसके फलस्वरूप 0–14 वय वर्ग के विकलांग बच्चों का माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण करायागया। जिसमें कुछ विद्यालय के बाहर पाये गये। जिनके अभिभावकों को उत्प्रेरित किया गया कि इन बच्चों को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजिए। आपके बच्चों सामान्य बच्चों के साथ पढलिख सकते है आप उत्साहितकरते रहे। वर्ष 2001–02 की कक्षा कक्षावार एवं विकलांगवार सर्वेक्षण के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला कि विकलांग बच्चों के नामांकन प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में चयनित दो विकास खण्डों लालगंज एवं ठेकमा में मेडिकल ऐसेसमेन्ट कराकर 648 बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। पुन–गंगलमसंस्था लखनऊ के सहयोगसे उपकरण वितरित किये गये। द्वितीयवर्ष में विकास खण्ड रानी की सराय एवं मुहम्मदपुर क चयन समेकित शिक्षाके अन्तर्गत किया गया एवं यहां मेडिकल एसेसमेन्ट पूर्ण क लिया गया है। साथ ही उपरोक्त चारों विकास खण्डोंमें सेवारत अध्यापकों का समेकित शिक्षा प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया गया है।

वर्तमान में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत जनपद के शेष 18 विकास खण्डों को सेवित किया जा रहा है।

इस हेतु बच्चों के हाउसहोल्ड सर्वेक्षण में 5934 विकलांगबच्चे चिन्हित किये गये हैं। जिनकेलिए वर्ष 2004—05में 2.3 हजार प्रति छात्र की दर से बजट प्राविधान किया गया है।

जनपद के सभी 18 खण्डों के लिए जनजागृति कार्यशाला एवं मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प की धनराशि प्राप्त हो गयी है। जिसके लिए कार्यवाही की जा रही हैं उपकरण वितरण हेतु 2004—05 में 10 विकास खण्ड, 2005—06 में 5 एवं 2006—07 में 3 विकास खण्डों का लक्ष्य रखा गया है।

विकलांग बच्चों की संख्या

बालक			बालिका		
6—11	11—14	योग	6—11	11—14	योग
2458	1143	3628	1555	751	2306

महायोग— 5934

अध्याय–9

गुणवत्ता संवर्द्धन

1 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की संकल्पनाः–

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के सार्वभौमीकरण शैक्षिक संसाधनों की उपयोगिता और समाज के हर

वर्ग की सहभागिता को सुनिश्चित करना हमारी संवैधानिक प्रतिबद्वता थी। इन्हीं उद्दश्यों की प्राप्ति हेतु 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संकल्पना की गई। जिसमें समाज के सभी वर्गो के बच्चों के बिना किसी धर्म जाति लिंग भेद के प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने पर बल दिया गया । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे।

(1) प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में सहयोग प्रदान करना।

(2) विद्यालय की धारण क्षमता में वृद्वि करना।

(3) शिक्षार्थियों के उपलब्धि स्तर का उन्नयन करना।

(4) शिक्षक शिक्षा के स्तर को समुन्नत करना।

(5) जनपद में स्थानीय स्तर पर शैक्षिक समस्याओं की पहचान एवं समाधान हेतु कियात्मक शोध अध्ययन करना।तथा अन्य इकाइयों को मार्गदर्शन प्रदान करना। राज्य स्तर से लेकरके गांव स्तर की शिक्षण संस्थाओं के बीच में

कड़ी के रूप में कार्य करना। उपर्युकत सभी के लिए शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की महती आवश्यकता महसूस की गई। शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन हेतु शिक्षक प्रशिक्षण का विशेष महत्व है। शिक्षा को समुदाय के आंकाक्षाओं के अनुरूप बनाने और उसकी प्रभावोत्पादकता समाज में परिलक्षित कराने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण ही सबसे प्रभावी व सशक्त माध्यम

है। शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा ही वह क्षमता व दक्षता विकसित की जा सकती है जो राष्ट्रीय लक्ष्य एवं सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने मेंसहायक है। शिक्षक ही शिक्षा का सूत्रधार होता है। वही बच्चों के अन्तरमन में मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों का बीजारोपण कर सकता है। जिससे वे सुयोग्य नागरिक बन,समाज को आलोकित कर सकें।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु उपलब्ध संसाधनों एवं जन समुदाय का उचित समन्वय करना अति आवश्यक है अतएव यह आवश्यकता महसूस की गई कि कम समय में ही त्वरितगति से प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जनपद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाय। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु डायट की स्थापना की योजना तीन चरणों में बनाई गई। तीसरे चरण में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर आजमगढ़ की स्थापना 1996 में की गई। यह भवन रोडवेज से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चारोंओर की हरियाली एवं शान्ति वातावरण के कारणसंस्थान का परिवेश शैक्षिक अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु सर्वथा उचित है।

संस्थान का मुख्य भवनजिसमें प्राचार्य कक्ष, कार्यालय स्टाफ रूम एवं पांच कक्ष नीचे एवं पांच कक्ष ऊपर है। संस्थान के परिसर में तीन आवासीय भवन एवं हास्टेल की व्यवस्था है।सम्पूर्ण परिसर चहारदीवारी से घिरा हुआ है।सभी कक्ष प्रशिक्षण एवं विभिन्न विभागों हेतु आवंटित है।डायट के कार्यो में सफलतापूर्वक संचालन हेतु आवंटित है। डायट में सात विभाग कार्यरत है। जो निम्नवत है।

1– सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण विभाग

2– सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय सम्पर्क तथा प्रर्वतन समन्वय विभाग

3– कार्यानुभव

4– शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग

5– जिला संसाधन इकाई।

6– पाठ्यकम विकास एवं मूल्यांकन विभाग

7– नियोजन एवं प्रबन्धन।

उपर्युकत विवेचना से स्पष्ट हैकि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण तथा गुणात्मक समुन्नयन हेतु शिक्षा व्यवस्था की विकेन्द्रीकरण में डायट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। प्रदेश में डी0पी0ई0पी. योजना चल रही है। जिसके तृतीय चक में आजमगढ़ जनपद भी आच्छादित है।इस योजना में जिला स्तर पर जिला परियोजना कार्यालय एवं पांच जिला समन्वयक, ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं बी0आर0सी0समन्वयक, दो सह–समन्वयक, तथा न्याय पंचायत स्तर पर एक एन0पी0आर0सी0 भवन एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयक की व्यवस्था की गई हैं। जिससे शिक्षा व्यवस्था काफी हद तक विकेन्द्रित हुई है। और विद्यालयों में बच्चों का नामांकन ठहराव तथा सम्प्राप्ति स्तर में पहले की तुलना में वृद्वि हुई है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सस्थान के कार्य:–

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सस्थानों की संकल्पना निम्नलिखित कार्यो की पूर्ति के लिए की गई।

1– प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा निरीक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

2– ब्लाक संसाधनों केन्द्रो, न्याय पंचायत संसाधनों केन्द्रों, विद्यालय संकुलों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना।

3– विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन एवं प्रबन्धन, सूक्ष्म नियोजन में बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यकम संचालित करना।

4– सामुदायिक कार्यकर्ताओं,स्वैच्छिक संगठनों के अभिकर्मियो तथा विद्यालयी शिक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित करना।

5– शिक्षा में कियात्मक शोध तथा प्रयोग परीक्षण हेतु कार्यकम संचालित करना।

6– जिला शिक्षा समिति जैसी संस्थाओं के लिए परामर्श तथा अकादमिक सहयोग प्रदान करना। और विभिन्न संसाधन केन्द्रों में नेटवर्क स्थापित करना

डी0पी0ई0पी0–111 योजना के अन्तर्गत डायट स्तर पर शिक्षामित्र तथा आचार्य/अनुदेशकों /टी0ओ0टी0 को प्रशिक्षित किया जाता है।

डायट से प्रशिक्षित टी0ओ0टी0 ब्लाक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सन्दर्भदाता के रूप में प्रतिभाग करते हैं। प्रतिव र्ा जनपद स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जं. रहे हैं। जो डी0पी0ई0 योजना के अन्तर्गत संचालित होते हैं। डी0पी0ई0 योजना के अन्तर्गत विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण चलाये जा रहे हैं। जबकि एस0ओ0पी0जी0 के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल/हाई ढउंपसजवरूस्कूल/हाईझ स्कूल गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डायट द्वारा अब तक निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्य{म चलाया गया।

डी0पी0ई0–111 योजना के अन्तर्गत अद्यावति तक गुणवत्ता संवर्धन हेतु डायट आजमगढ़ द्वारा सम्पादीत कार्य–

1.	ब्लाक स्तरीय अधिकारियों/समन्वयकों का प्रशिक्षण– अ– ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 ब– बी0आर0सी0 समन्वयक/सहसमन्वयक स– एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	समस्त 66 280
2.	टी0ओ0टी0 का प्रशिक्षण–	110
3.	सेवारत शिक्षक (पूर्व प्राथमिक स्तरीय) प्रशिक्षण अ– प्रथमचक्र प्रशिक्षण	5587 5159

	ब– द्वितीयचक्र प्रशिक्षण	
4.	सगोकित शिक्षा प्रशिक्षण	837
5.	पैराटीचर्स प्रशिक्षण– अ– शिक्षामित्र(डी0पी0ई0पी0 / बेसिक)– नवीन तथा पुनर्बोधात्मक ब– आर्चाय / अनुदेशक	483 370
6.	टांगनवाडी प्रशिक्षण	247
7.	क्रियात्मक शोधशाला	179

एस0ओ0पी0टी0 योजना अन्तर्गत सम्पादित कार्य–

क्र0सं0	विाय	प्रतिभागी	संख्या
1–	गणित	गणित अध्यापक(जू0हाईस्कूल)	263
2–	विज्ञान	विज्ञान अध्यापक(जू0हाईस्कूल)	132
3–	अरबी / फारसी ढउंपसजवरूअरबी / फारसीझ		उर्दू अध्यापक(जू0हाईस्कूल) 98
4–	विज्ञान	विज्ञान अध्यापक(हाईस्कूल)	83

डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत कार्यो का वितरण–

1– डायट पर बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 ढउंपसजवरूबी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0झ एवं एस0बी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 कुल 339 प्रतिभागियों को चार दिवसीय विजनींग कार्यशाला प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें डी0पी0ई0पी0 योजना की सम्पूर्ण जानकारी एवं कार्ययोजना बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।

– बी0आर0सी0 समन्वयकों को शिक्षामित्र सम्बन्धी 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें कुल 43 प्रतिभागी थे।

–बी0आर0सी0 / ए0बी0आर0सी0समन्वयकों

ढउंपसजवरूबी0आर0सी0 / ए0बी0आर0सी0समन्वयकोंझ को आधारभूत प्रशिक्षण तथा माडयूल पर आधारित प्रशिक्षण दिये गये।

– शैक्षिक सपोर्ट तथा अनुसमर्थन कार्यशाला जो कि तीन दिवसीय थी का आयोजन कियागया जिसमें प्रतिभागी के रूप में बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0समन्वयक / ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई

ढउंपसजवरूबी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0समन्वयक / ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई झ उपस्थित थे। एन0पी0आर0सी0समनवयकों को वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत पर्यवेक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

– वित्तीय एवं अकादमिक प्रशिक्षण जो कि दो दिवसीय था,मे प्रतिभागी के रूपमे

बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0समन्वयकों

ढउंपसजवरूबी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0समन्वयकोंझ के रूपमें प्रशिक्षित किया गया।

2– डायट पर आठ दिवसीय टी0ओ0टी0 का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें 110 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण माडयूल पर आधारित रहा। द्वितीय चक के प्रशिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्याकनं जेण्डर संवेदीकरण तथा विद्यालय श्रेणीकरण विन्दु समाहित थें।

3– प्राथमिक विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों का माडयूल पर आधारित आठ दिवसीय प्रशिक्षण पूरे जनपद के वी0आर0सी0केन्द्रों पर आयोजित किये गये। जिसमें कुल 5587 अध्यापकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । इस पशिक्षण में नव निर्मित पुस्तकों एवं डी0पी0ई0पी0योजना की उद्देयों के बारे में चर्चा की गई।द्वितीय चक्र के

प्रशिक्षण में कुल 5159 अध्यापकों ने सतत् व व्यापक मूल्यांकन जेण्डर संवदीकरणं एवं श्रेणीकरण का प्रशिक्षण लिया।

4-- समेंकित शिक्षा अन्तर्गत जनपद के कुल चार ब्लाकों में कुल 837 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। जिसके विद्यालय के विशिष्ट बच्चों हेतु शिक्षण विधि के बारे में बताया गया।

5— जनपद में डी0पी0ई0पी0 तथा बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कुल 483 शिक्षामित्रों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण संस्थान पर दिया गया। यह प्रशिक्षण माडयूल पर आधारित था जो मुख्यरूप से कक्षा–1 और 2 के छात्रों को बढ़ाने के तरीकों पर विकसित किया गया था।

पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण जो कि 15 दिन का था भी माडयूल पर आधारित था, समस्त चयनित शिक्षामित्रों को दिया गया/जा रहा है।

6— आचार्य तथा अनुदेशकों को तीस दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। उनकी कुल संख्या 370 थी। यह प्रशिक्षण भी 30 दिवसीय माडयूल पर आधारित था। जो कि शिक्षामित्रों के लिए दिया गया था।

7— आंगनवाड़ी ई0सी0सी0ई0 प्रशिक्षण कार्यकम जो कि दो चक्रों में चलाया गया। पहला चक्र 7 दिवसीय था तथा दूसरा चक्र 10 दिवसीय था। जिसमें आंगनवाड़ी सुपरवाइजर/समन्वयकों ढउंपसजवरूसुपरवाइजर/समन्वयकोंझ ने प्रतिभाग किया। जिसमें बाल केन्द्रित शिक्षण विद्या एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

8— क्रियात्मक शोधकार्यशाला के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक से बी0आर0सी0 एक ए0बी0आ0सी0 तथा पांच एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को प्रतिभागी के रूप में बुलाया गया। इस कार्यशाला में बताया गया कि दैनिक जीवन की ऐसी समस्याओं को जिनका समाधान सगमतापूर्वक न किया जा सके, को कियात्मक शोध द्वारा कमवद्व एवं यथाशीघ्र किया जा सकता है। शिक्षक विद्यालयों की शैक्षिका प्रशासनिक सामाजिक समस्याओं को कियात्मक शोध हल किया जा सकता है। शिक्षण कार्य में आने वाली समस्यायें जो प्रत्यक्ष रूपो शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। उनका समाधान कियात्मक शोध से सम्भव है। जनपद के समस्त ब्लाकों से आये हुए प्रतिभागियों से कियात्मक शोध हेतु समस्याओं का चयन कराया गया तथा कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया ।

1— जनपद के जूनियर हाईस्कूलों के ग्रामीण अध्यापकों को एस0ओ0पी. टी0(गणित) में प्रतिभाग कराया गया। जिनकी कुल संख्या 263 रही। इस प्रशिक्षण से गणित वि ाय की गुणवत्तायुक्त शिक्षण में काफी सहयोग प्राप्त हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यकम में संख्या, रेखा का ज्ञान एवं उसका विभिन्न संक्रियाओं,शेयर, ऊचाई और दूरी आदि नवीन विन्दुओं पर विशेष चर्चा हुई।

2— एम0ओ0पी0टी0 विज्ञान के अन्तर्गत जू0हा0स्कूलों के कुल 132 विज्ञान अध्यापकों ने प्रतिभाग किया। यह प्रशिक्षण जू0हा0स्कूलों के गणित अध्यापकों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में सहयोगी रहा।

3— जू0हा0स्कूल स्तरीय उर्दू अध्यापकों हेतु अरबी/फारसी ढउंपसजवरूअरबी/ फारसीझ ए0ओ0पी0टी0 प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें 98 उर्दू अध्यापकों ने प्रतिभाग किया। यह प्रशिक्षण उर्दू अध्यापकों के लिए बहुत ही उपयागी रहा।

4— माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु पुस्तकों का नवीनीकरण हुआ है। जिसके फलस्वरूप सभी विषयों के एस0ओ0पी0टी0 प्रशिक्षण की आवश्यकता

महसूस की जा रही है। इसी क्रम में सबसे पहले हाईस्कूल स्तरीय विज्ञान अध्यापकों को एस0ओ0पी0टी0 प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कराया गया। इस प्रशिक्षण में कुल 83 अध्यापकों ने प्रतिभाग किया। यह प्रशिक्षण विज्ञान विषय के सम्यक शिक्षा देने में सहयोगी रहा।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभावः–

जनपद आजमगढ़ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यम के तृतीय चरण के अन्तर्गत अप्रेल 2000 से संचालित है। जनपद में संवारत शिक्षक प्रशिक्षण दो चक्रों में पूर्ण कर लिया गया है। प्रथम चक्र गाड्यूल पर आधारित था। जबकि द्वितीय चक्र मुख्यरूप से सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन जेन्डर संवेदीकरण तथा श्रेणीकरण पर आधारित था। जनपद में प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण जिला समन्वय प्रशिक्षण डायट मेन्टर्स सहायक शिक्षा बेसिक अधिकारी, बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 ढउंपसजवरूबी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0झ समन्वकों द्वारा नियमित रूप से किया र रहा है। जिनसे प्राप्त अवलोकन आख्याओं के अनुसार संज्ञान में आया है कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है। शिक्षण कार्य में शिक्षण अधिगम सामग्री एवं गतिविधियों का प्रयोग प्रारम्भ हो गया है। तथा बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आ रहें है।

प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरण–

आजमगढ़ जनपद में एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के 280 पद सृजित हैं, जिनमें से कुछ पद रिक्त हैं जिसके कारण श्रेणीकरण कार्य बाधित हो रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाअध्यापकों के प्रभारी न्याय पंचायत समन्वय बनाया गया है। जुलाई से अबतक जनपद में विद्यालय श्रेणीकरण की स्थित निम्न है।

विद्यालयों की संख्या	श्रेणीकृत विद्यालय	श्रेणीकरण की स्थिति
1494	1676	ए–122

वी–1231

सी–301

डी–22

बेसलाइन सर्वे वर्ष–2000 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति(सारिणी संख्या–				
क्र0	वक्षा	विषय	बालकों की संख्या	बलिकाओं की संख्या

एम0एल0एल0 प्रतिशतदक्षता प्रतिशतएम0एल0एल0 प्राप्तनहीं कर सकें प्रतिशतएम0एल0एल0 प्रतिशतदक्षता प्रतिशत एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सकें प्रतिशतऋ1. 2भाषा 38.933.128.0043.527.433.00ऋ2.2गणित45.934.0020.0064. 0224.0731.01ऋ3.5भाषा66.65.727.764.22.433.3ऋ4.5गणित32.50.667.0020.50.779. 5ऋ

बेस लाइन सर्वेक्षण व र्ष 2000 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति–

डी0पी0ई0पी0–'111 लागू होने से पूर्व कराये गये बेस लाइन सर्वेक्षण के अनुसार कक्षा–2 भा ा में 28 प्रतिशत बालक तथा 33 प्रतिशत बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सके। तथा कक्षा 2 गणित में 20 प्रतिशत बालक तथा 31.1 प्रतिशत बालिकायें एम0एल0एल0 को प्राप्त नहीं किये है। कक्षा– 5 के भा ा में 27.7 प्रतिशत बालक एवं 33.3 प्रतिशत बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सकी। कक्षा–5 गणित में 67.00 प्रतिशत बालक एवं 79.5 प्रतिशत बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सकीं।

प्रथमिक विद्यालयों की प्रोत्साहन योजनायें:–

थ्जला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य छात्र नामांकन ठहराव एवं सम्प्राप्ति है। जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति

पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। जनपद में 14 व र्ा की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के बालकों एवं सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई है। जिसके सकारात्मक परिणाम से छात्र नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई है। जुलाई 2003 में स्कूल चलो अभियान के आयोजनोपरान्त कक्षा–1 से 5 तक के सभी जाति के बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गईं।

प्राथमिक विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव को बनाये रखने के लिए छात्रवृत्ति निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को वितरण पो ाहार योजना आदि कारगर सिद्ध हुए है। जिससे अभिभावकों को सहयोग मिलने के साथ–साथ विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है। तथा ह्रास की समस्या पर भी अंकुश लगा है छात्रवृत्ति का लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी बालक एवं बालिकाओं तथा पिछड़ी जाति के कुछ बालक/बालिकाओं ढउंपसजवरूबालक/बालिकाओंझ को दिया जा रहा है। पो ाहार योजना का लाभ सभी बालक/बालिकाओं ढउंपसजवरूबालक/बालिकाओंझ को मिलता है।

म्ध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण वर्ष–2003 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति(सारिणी संख्या–9.2)

क्र0	कक्षा	विषय	बालकों की संख्या	वलिकाओं की संख्या

एम0एल0एल0 प्रतिशत दक्षता प्रतिशत एम0एल0एल0 प्राप्तनहीं कर सकें प्रतिशत एम0एल0एल0 प्रतिशतदक्षता प्रतिशत एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके प्रतिशतऋ1. 2भाषा 41.536.222.342.4128.129.3ऋ2.2गणित31.5652.8915.5642.4135.5522.4ऋ3.5भाषा81.54.014.572.56.121.4ऋ4.5गणित36.54.060.538.25.955.8ऋ

(२१)

8– कक्षा–5 भाषा एवं गणित दोनों वि षयों में आधार भूत सवेक्षण की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में उपलब्धि में वृद्धि हुई है।

सर्व शिक्षा अभियान एवं लक्ष्य :–

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त महत्वांकाक्षी कार्यक्रम है। जनपद आजमगढ़ में 6 से 14 वर्ष के सभी बालक / बालिकाओं ढउंपसजलरू बालक / बालिकाओं को वर्ष 2010 तक गुणवत्ता परक जीवनोपयोगी व्यवसायपरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा शैक्षिक परिवेश में समुदाय की शत–प्रतिशत भागीदारी सनिश्चित करके प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्रदान किया जा सकेगा। सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नवत् है:–

1– 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

2– वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय,शिक्षा गारन्टी केन्द्र बैंक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।

3– वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा–5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।

4– वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा–8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।

5– गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।

6– बालक बालिकाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य व वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा व र्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नांमाकन ठहराव व सम्प्राप्ति के अन्तर को समाप्त करना।

7– सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी वि षमताओं को दूर करना।

8– शिशु शिक्षा के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार 0 से 11 को बढ़ा कर 0 से 14 करना तथा बाल विकास परियोजना के प्रयास को समर्थन देना तथा जहां बाल विकास परियोजनाएं नहीं चल रही हैं वहां विशेष पूर्व विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराना।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एवं सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए पूरे जनपद को एक विजन विकसिक किया जायेगा। जिसमें जनपद स्तरीय विकासखण्ड स्तरीय न्याय पंचायत स्तरीय स्कूल स्तरीय अभिकर्मियशें की भागीदारी शिक्षा विभाग के अभिकर्मियों डायट संकाय के सदस्यों जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों, न्याय पंचायत/विकासखण्ड स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। जिसमें मुख्यतः सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों लक्ष्यों बच्चों की वर्तमान स्थिति एवं उसमें बदलाव के लक्ष्यों,शिक्षकों विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रकिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृ टगत रखते हुए सहभागिता निष्कर्ष एवं सहमतियां तय की जायेगी। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों के लिए विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों के आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों के शिक्षण कौशल में अभिवृद्वि शिक्षकों की दक्षता तथा उनके वि ाय ज्ञान को बढ़ाने के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्य{म वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के सीन पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत प्रक्रिया के रू‍प में आयोजित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्य{म के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण को इस प्रकार श्रृंखलाबद्व नियोजन किया जायेगा कि बी0आर0सी0 स्तर पर 6 से 8 दिवसों के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं मुख्यतः एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेगें। प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्व होगी।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों से प्राप्त प्रशिक्षणों से प्राप्त प्रशिक्षण अनुभवों तथा वर्तमान में अनुभूत आवश्कताओं यथा बहु कक्षा एवं बहु स्तरीय शिक्षण विधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम और वस्तुओं के प्रभावी एवं बेहतर उपयोग आदि के आलोक में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगें।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षणः–

सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष में समस्त प्राथमिक शिक्षकों शिक्षा मित्रों सहित को बहुत कक्षा शिक्षण/बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण का दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें से सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिवसों का प्रशिक्षण क्रमशः एक–एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसका विवरण निम्नवत् है –

1– विजनिंग कार्यशाला का आयोजन तीन दिवसीय।

2– बहु कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण।

3– मैटेरियल मेल का आयोजन।

4– विकास खण्ड स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण के फालोअप के लिए पाठ्य प्रस्तुतीकरण पर आधारित मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

5– समस्त प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं के कार्यान्वयन हेतु संस्थान पर आवश्यकताओं के आकलन हेतु सेमिनारों का आयोजन किया जायेगा। तदोपरान्त सम्बन्धित प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

6— सभी प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं हेतु माड्यूल का निर्माण डायट स्तर किया जायेगा। आवश्यक सुझावा परियोजना कार्यालय से लिये जायेगें।

1— प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षणः—

वर्षप्राइमरीउच्च प्राथमिकशिक्षा मित्रदरअनुमानित व्यय

2002—03		—	—	—	—
2003—04	377	—	—	70.00	—
2004—05	8030	1635	2343	70.00	—
2005—06	8144	1635	2461	70.00	—
2006—07	8261	1635	2578	70.00	—

2— प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षामित्रों के लिए टी0एल0एम0 अनुदान :—

वर्ष	प्राइमरी	उच्च प्राथमिक	शिक्षा मित्र	दर	अनुमानित व्यय
2002—03		—	—	—	—
2003—04	195	2667	—	500.00	—
2004—05	10677	1809	2235	500.00	—
2005—06	10905	1809	2288	500.	—

				00	
2006–07	11239	1809	2288	500. 00	–

उपरोक्त कार्यक्रम वर्ष के चार महीनों में आयोजित होगा। जिसके लिए प्रशिक्षण का एजेंडा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालों तथा गोष्ठियों का आयोजन एवं अभिलेखीकरण ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा किया जायेगा। जबकि न्याय पंचायत केन्द्र पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखीकरण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा किया जायेगा। इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं, गोष्ठियों का अनुश्रवण डायट के ब्लाक मेन्टर तथा ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण में अध्यापकों की आवश्यकता पर आधारित मुख्यतः भाषा एवं गणित, की दक्षता को केन्दीकृत कर दिया जायेगा। आठ दिन का प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर तथा शेष तीन दो दिन का प्रशिक्षण न्याय पंचायत केन्द्र पर आयोजित किये जायेगें। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर वर्ष के दो दिनों मासिक प्रशिक्षण एक–एक माह के अन्तर पर आयोजित किये जायेगें जिसमें ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेन्डा का अनुप्रयोग किया जायेगा। प्रशिक्षण के आवश्यकताओं के आकलन हेतु प्रशिक्षण आयोजन के पूर्व डायट स्तर पर सेमिनार का आयोजन किया जायेगा जिसमें समस्त बी0आर0सी0 समन्वयक/मेन्टर्स तथा ए0आर0जी0 ग्रुप के सदस्यों को आमंत्रित किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के तृतीय वर्ष में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी एवं उर्दू विषय के गुणवता परख शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा।

यह प्रशिक्षण आठ दिवसीय होगा। जिस पर सत्तर रूप्ये प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से धन की आवश्यकता होगी।

सर्व शिक्षा अभियान के चौथे वर्ष की शिक्षण प्रशिक्षण में पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री निर्माण कार्यशाला आयोजित की जायेगी। यह कार्यशाला जो कि आठ दिवसीय होगी, ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। न्याय पंचायत स्तर पर भी दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी जिसका विवरण निम्नवत हैं–

1– एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक सामग्री विकसीत करने हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जिसमें न्याय पंचायत के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सम्मिलित किया जायेगा।

2– डायट द्वारा तैयार किये गये एजेन्डे के अनुसार प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक कार्यशालाऐं वर्ष के छः महीनों में आयोजित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यकम के पांचवें वर्ष में उपरोक्त चार वर्षों के फालोअप से उभरी समस्याओं के निराकरण एवं शिक्षकों की आवश्यकताओं का आकलन करके आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण दस दिवसीय होगा। जिसमें पांच दिवसीय पशिक्षण कक्षा शिक्षण पर आधारित होगा। तथा शेष पशिक्षण भी पुनराविृत्ति के लिए रखा जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षणः–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यकम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता सम्वर्द्धन के लिए समस्त परिषदीय उच्च परिषदीय विद्यालयों/मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों तथा हाई स्कूल/इन्टरमिडिएट ढउंपससजवरूस्कूल/इन्टरमिडिएटझ कालेजों के कक्षा–6 से कक्षा–8 तक के शिक्षण कार्य करने वाले सहायक

अध्यापकों/प्रधानाअध्यापकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इसका विवरण निम्नवत है–

उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण के शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यक्रम का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुगन्य की गयी है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण निम्नवत आयोजित किये जायेगें–

प्रथम वर्ष के शिक्षकों कोविज्ञान विषय की शिक्षण , विषय वस्तु , शिक्षण विधियों सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा, जो आठ दिवसीय होगा, तथा इसी कम में विकास खण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुत पाठ्य योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी, तथा वर्ष के छः माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा; एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय मैटरियल मेला का आयोजन किया जायेगा, जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार की जायेगी तथा बी0आर0सी0 स्तरपर एक दिवसीय मैटियरल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन 70 रू0 की दर से अनुमानित दस लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय वस्तु, शिक्षण विधियों , सामग्री निर्माण तथा उपयोग सम्बन्धि सात दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम मे विकास खण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठयक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की परतुति, पाठ्य योजना तथा सम्बन्धित सहायक सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

गणित शिक्षण के अन्तर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय गणितीय मेला का आयेाजन किया जायेगा तथा यही गणितीय मेला बी0आर0सी0 स्तर पर भी सम्पन्न कराया जायेगा। द्वितीय वर्ष अंक आयेाजित प्रशिक्षणों पर प्रति–प्रतिभागी रू0 70.00 की दर से अनुमानतः रू0 10 लाख प्रस्तावित है। पाठ्यकम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति पाठ्य योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के प्लान अव डायट स्तर पर तैयार किये गये ऐजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी इसी अनुकम में बी0आर0सी स्तर पर भी एक दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयेाजित शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से अनुमान रू0 बीय लाख प्रस्तावित है।
तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों के विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस अनुकम में विकास खण्ड स्तर अंग्रेज़ी एंव संस्कृति विषय पाठ्यकम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुत, पाठ योजना तथा सम्बन्धि सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए हिन्दी , भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जो आठ दिवसीय होगा।

2– जेण्डर सेन्सि टाइजेशनः– कक्षा में बालिकाओं के प्रति संवेदन शीलता लाने हेतु बी0आर सी0 स्तर पर दो दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। जिसमें प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक प्रतिभाग करेंगे।

3— नेतृत्व प्रशिक्षणः— सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व प्रशिक्षण तथा समय प्रबंधन एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया जायेगा जो दो दिवसीय होगा।

4— अन्य प्रशिक्षणः— शिक्षा मित्र/ आचार्य जी प्रशिक्षणः— जनपद के 475 शिक्षा मित्र एवं 200 आचार्य जी के प्रशिक्षण का प्रावधान है। जिसमें 99 शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और 148 आचार्य जी का प्रशिक्षण हो चुका है।

2— ई0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण।

3— ईसी0 आर0 सी0/ एन0पी0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण।

4— ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।

6— ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।

7— एन0एस0एस0 परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002—07 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

क0सं0	कार्यक्रम	अवधि	प्रतिभागी
1.	विजनिंग कार्यशाला	04 दिन	डायट के संकाय सदस्यडी.पी.ओ. स्टाफ ए.वी.एस.ए., एस.डी.आई., वी.आर.सी. समन्वयक
	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों	10 दिन	चुने हुए प्रशिक्षक

का प्रशिक्षण

शिक्षा मित्र / आचार्य जी का 1. आधारभूत शिक्षामित्र / आचार्य जी 30 दिन

का प्रशिक्षण 2. रिफ्रेसर प्रशिक्षण

वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का

प्रशिक्षण 1. आधारभूत अनुदेशक

15 दिन

2. रिफ्रेसर

10 दिन

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के बी.आर.सी., एन., पी.आर.सी. समन्वयक

03 दिन

अनुदेशकों का प्रशिक्षण

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकत्रियॉ तथा 07 दिन

का प्रशिक्षण सहायीकाएं

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक

07 दिन

समन्वयकों का प्रशिक्षण

ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. ए.बी., एस.ए., एस.डी.आई.

05 दिन

का प्रशिक्षण

ग्राम शिक्षा समितियों के बी.आर.जी. के सदस्य

03 दिन

प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी.

कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 01 माह	डायट स्टाफ द्वारा	उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक
अंग्रेजी शिक्षण हेतु प्रशिक्षण 8 दिन		विद्यालयों के चयनित शिक्षक
संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण 8 दिन		विद्यालयों के चयनित शिक्षक
12. उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण 8दिन		उर्दू शिक्षक
13. सेवा पूर्वागम् प्रशिक्षण 10 दिन		नव नियुक्त सहायक अध्यापक (प्रा0वि0)
14. नेतृत्व प्रशिक्षण करने वाले शिक्षक 05 दिन		प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त
15. एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण चुने हुए 05 दिन	डायट स्टाफ, बी.,	आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक तथा चयनित शिक्षक चुने हुए शिक्षक
16. मेटीरियल मेला 03 दिन		चुने हुए शिक्षक
सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण 03 दिन	डायट स्टाफ से	चुने हुए शिक्षक

अकादमिक र्प्यवेक्षण तथा डायट स्टाफ वी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक 03 दिन

श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण

19. कार्यानुभव प्रशिक्षण वी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक 03 दिन

समन्वयक तथा चयनित उ0प्रा0वि0 के शिक्षक

20. प्राथमिक / उच्च ढउंपसजवरूप्राथमिक / उच्चझ प्राथमिक कक्षाओं में चिह्नित शिक्षक–शिक्षिकायें 10 दिन

हिन्दी भा ा शिक्षण–प्रशिक्षण

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक प्राथमिक / उ0प्रा0, हाईस्कूल, ई.कालेज के 10 दिन

कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण चुने हुए शिक्षक

हेतु सामग्री का विकास

गणित शिक्षण हेतु सामग्री प्राथमिक / उ0प्राथमिक, हा. स्कूल / इ. कालेज10 दिन

–विकास कार्यशाला के चुने हुए शिक्षक

अकादमिक संदर्भ समूह की अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य 05 दिन

क्षमता का विकास कार्यशाला

कक्षा–शिक्षण में श्रव्य–दृश्य वी.आर.सी. समन्वयकों, चुने हुए विद्यालय के शिक्षक 02 दिन

माध्यम के उपयोग सम्बन्धी

कार्यशाला

बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ 05 दिन लर्निंग मेटीरियल का विकास सम्बन्धी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक
वास्तविक शिक्षण समय 02 दिन को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी. / एन. पी. आर.सी. समन्वयक
संस्थागत क्षमता विकास 03 दिन कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य
बाल श्रमिकों हेतु संचालित 03 दिन वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री का विकास	डायट संकाय सदस्य तथा शिक्षक

अन्य प्रशिक्षण :–

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण:--

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 111 के अन्तर्गत 250 आंगनवाड़ी केन्द्रों का चयन कर उनके कार्यकत्रियों को ई0सी0सी0ई0 का प्रशिक्षण दिया गया। जनपद के आठ विकासखण्डों में ई0सी0सी0ई0 के 250 केन्द्र संचालित है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आगामी तीन व र्ो में ई0सी0सी0ई0 के अन्तर्गत

नये केन्द्र खोलना प्रस्तावित नहीं है। अतः उपरोक्त 250 केन्द्रों के कार्यकत्रि.यों का पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा।

ए0बी0 एस0ए0/एस0 डी0 आई0 प्रशिक्षणः– जनपद में विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्य के नियोजन एवं कियान्वन में एस0बी0 एस0ए0/एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका पांच दिवसीय ओरियेटेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास सीमेंट द्वारा डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत किया गया है। अकादमिक प्रर्ववेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण ई0एम0आई0एस0 माईक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

ग्राम शिक्षासमिति के सदस्यों का प्रशिक्षण–

स्कूल की गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने तथा बालिकाओं का शत–प्रतिशत करने ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उनका कियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। ये प्रशिक्षण प्रति दो वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा शिक्षा समिति के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सभी के सभी सदस्य महिला सदस्य युवक मंगल दल के सदस्य के सदस्य भाग लेंगे । इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है । विद्यालय में नामांकित ने होने वाले वच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं ।

एस0 एस0 ए0 परियोजना का प्रशिक्षण –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा । प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना के रणनितियों के सम्बन्ध में जनपदीय टीम की प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षो में आवश्यकतानुसार रिप्रशस प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे । सभी प्रकार के प्रशिक्षण के अनुभवों की विभिन्न स्तरों पर सेयरिंग की जायेगी तथा इनका डाकूमेंटेशन भी किया जायेगा । शिक्षण समय को बढ़ाना प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा अनुभ्रमण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारणी अधिकांश विद्यार्थियों के किया जाता है वर्ष में 200 दिन कुल कार्य दिवस के लिए अवकास की विद्यालय में हुआ तथा 165 दिन शिक्षण के लिए उपलब्ध हुए ।

स्तर	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	165	165
परीक्षा	10	10
अन्य कार्य	15	15
नष्ट हो जाने वाले दिन	10	10
समुदाय से सम्पर्क	10	10

स्रोत – डायट – आजमगढ़

सारिणी

स्कूल समय सारिणी साप्ताहिक के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
भाषा 1 हिन्दी	प्रतिघंटा 40 मिनठ 9	40 मिनट 9
भाषा 2 अंग्रजी	प्रतिघंटा 40 मिनठ 3	40 मिनट 5
भाषा 3 संस्कृत	प्रतिघंटा 40 मिनठ 3	40 मिनट 5
विज्ञान	प्रतिघंटा 40 मिनठ 4	40 मिनट 6
गणित	प्रतिघंटा 40 मिनठ 8	40 मिनट 16
सामाजिक विषय	प्रतिघंटा 40 मिनठ 4	40 मिनट 6
सामाजोपयोगी कार्य	प्रतिघंटा 40 मिनठ 5	40 मिनट 4
कला शिक्षण	प्रतिघंटा 40 मिनठ 4	40 मिनट 3
अन्य प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा	प्रतिघंटा 40 मिनठ 8	40 मिनट 3
कृषि एवं पर्यावरणीय	स्रोत डायट – आजमगढ़	

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 165 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 165 दिन ही उपलब्ध हो पाये, जबकि विभाग द्वारा 220 कार्य दिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं ।

अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिनों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी ।

पाठय सामग्रीः–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक कक्षाओं की नवीन पाठ्य पुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया । इन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष , 2005 तक जारी रहेगा । जिस पर 200 लाख रूपया व्यय होगा । नवीन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक संदर्शिकाएं जो डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत विकसित की गयी थीं , उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध करा दिया गया ।

कक्षा 1–5 संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्ष परियोजना, उ0प्र0 द्वारा 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किए जाने के उपरान्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उक्त स्तर के बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण–सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की

जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा जीवनपयोगी कौशलों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सके।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका–

आकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। जनपद'– विकास खण्ड, न्याय पंचायत रस्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण का नियोजन तथा कियान्वयन, अकादमिक र्प्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु कार्य कराया जायेगा।

क्षमता विकास करना –

प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषयवस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को प्रर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने वैकल्पिक शिक्षा, बी.ई.सी. प्रशिक्षण. ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समकेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों का निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम को लागू किया जायेगा।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम् शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा बी.एस.ए./एस.डी.आई., प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक, बी0आर0सी0 समन्वयकों, एन0पी0आर0 सी0 समन्वयकों के संकुल प्रथा की क्षमता का विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण –

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करके गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीड बैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत किया जायेगा। जिसके डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाहरी विशेषज्ञ शिक्षा विद्, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं। प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इन्टर कालेज स्तर के शिक्षको को जोड़ा जायेगा और क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। इसके लिए प्रत्येक वर्ष 5 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण–सामग्री विकास प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान कर एन0पी0आर0सी0 पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल सहभागिता में शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा। इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रू 0 500 / – अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कार्य में आवश्यकतानुसार शिक्षण–सामग्री की निर्माण के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन–पाठन सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी–सामग्री तथा आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यकम और पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग की सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से सर्वशिक्ष अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रू0 500/ – शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान

किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियां डायट पर की जायेगी। वर्तमान में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जो शिक्षण अधिगम प्रकिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता हैं। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय गोष्ठियां की और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर. सी.बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी।

गुणवत्ता सुधार में समाजसेवी संगठनों की सहभागिता –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थानीय शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों मे जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग डायट की क्षमता की विकास अकादमिक सान्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर समन्वयको तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट मे प्रवक्ताओ को कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। इसके लिए प्रशिक्षण कराया जायेगा।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आकवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद है। अतः

निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा–शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय, प्रबन्धन, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थित का आंकलन कर व्यवहारिक कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान करें। शिक्षकों समन्वयकों की एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किये जाने का प्राविधान है। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्रति स्तर का अध्यन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम आब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

एक्शन रिसर्च –

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को शंकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं –

1– शिक्षण का अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार किया जाना सम्भव है।

2– बहु कक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किया प्रकार हो।

3– बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग ।

4– कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।

5– शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।

6– कार्य निष्पादन के आधार पर चिन्हित कमजोर विद्यालयों में प्रबंधन के मुद्दे।

7– विद्यालय विकास योजना के प्रभावी कि न्वयन के उपाय।

8– कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीकी।

9– अन्य वच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर कम है– उसके कारणों की पहचान।

10– विद्यालयों के सन्दर्भ में समुदाय के सहयोग के अभाव के कारण का अध्ययन।

11– बच्चों की विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के कारणों का अध्ययन।

12– मध्यान्तर के एचात् विद्यालय से छात्रों के पलायन के कारणों का विश्लेषणात्मक निरूपण।

13– अध्यापकों के पठन–पाठन के स्तर में वृद्धि हेु प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन ।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई0एम0आई0एस0 के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक व्लाक / प्रत्येक गॉव / प्रत्येक विद्यालयों की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा व्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार , लिंगवार तथ श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन का कर सकते है। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. ऑकड़ें के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चो की स्थिति का विलेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्पलीशनरेट बच्चों द्वारा शिक्षण चक को पूरा करने में लगा सकय इत्यादित।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त ऑकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा।

जिससे उनका उपयोग नियोजन तथ कियान्वयन में हो सकेगा।

ई.एम.आई.एस. ऑकडे के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटीशन रेट कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त ऑकड़ों का विलेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली –

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन, की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित है, किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा–5 की परीक्षा एन.पी.आर. सी. स्तर पर तथा कक्षा– 8 की परीक्षा वी.आर.सी. स्तर पर की जायेगी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्नपत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेंगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत् व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

सतत् व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा, वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक प्रशिक्षण मॉडयूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद् विषयक प्रशिक्षण डायट वी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. , स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान

किय। जायेगा। जिससे वे इस प्रणाली का कियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

आकादमिक सुपरविजन में डायट , बी.आर.सी. की समेकित भूमिका –

आकदमिक सुपरविजन में डायट बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 की समेकित भूमिका रहेगी, एन.पी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चचर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगा।

ब्लाक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्य योजना विकसित करेंगे।

एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिका :

संकुलन स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी कियाकलापों के केन्द्रित विन्दु एन0पी0आर0सी0 है। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मान चित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभव का परस्पर– विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना अपनी एन0पी0आर0सी0 सम न्वयकों के प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत हैं।

1– शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन

2– वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्र का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।

3– स्कूल चलो अभियन बाल गणनाए तथा ई0एन0आई0एस0 आकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।

4– ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।

5– बी0आर0सी0 को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।

6– कार्यों तथा कार्यकमों की रिपोर्ट तैयार कर बी0आर0सी0 तथा डायट को भेजना।

नवाचार कार्यक्रम –

डायट द्वारा विभिन्न ग्रामों के जनसमुदाय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति , स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावक, व्यवसाय करने वाले बच्चों के ग्राम प्रधान सम्मिलित थे तथा न्याय पंचायत संकुल प्रभारी, उच्च प्रा0वि0 के प्रधानाध्यापकों के साथ एफ.जी.डी. के दौरानयह तथ्य संज्ञान में आया कि जो बच्चे अपने व्यवसाय में संलग्न होने के कारण विद्यालय में नहीं जाते हैं या जिन्हों ने प्राथमिक स्तर की प्ढाई पूर्ण कर विद्यालय जाना बन्द कर दिया, उन्हें पुनः विद्यालय में लाने के एिल ठहराव बनाए रखने के एिल तथाउन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु कौशल विकास में दक्ष करने के लिए कार्यानुभव प्रशिक्षण बहुत प्रभावी होगां इसी प्रकार यदि लडकियों को उनकी इच्छानुसार फैसन, डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिटिंग, फट प्रजर्वेशन आदि का प्रशिक्षण देने से उनका पउ0प्रा0 स्तर पर विद्यालय में ठहराव बनाए रखने के एिल सहायता मिलेगी।

इसके पूर्व बी.इ.सी. जनपदों में उ0प्रा0 वि0 में बालिकाओं के एिल इसका पाइलट प्राजेक्ट चलाया जा चुका है, इसके परिणाम बहुत सकारात्मक रहे। इसके न केवल बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुयी अपितु उनका ठहराव भ बना रहा है।

बालिकाओं के लिए कार्यक्रम उनके ठहराव में सहायक होता है। जिन स्थानों पर यह योजना लागू की गयी उस स्थान पर कोई भी छात्रा ड्राप आउट नहीं हुई। इससे यह स्पष्ट है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते हैं।

इस आधार पर जनपद के प्रत्येक ब्लाक के तीन–तीन विद्यालयों में यह योजना चलाया जायेगी। इस कार्यानुभव में प्रत्येक विद्यालय में कच्चा माल उपलब्ध कर दिया जायेगा। उस कच्चे माल से जो सामान तैयार होगा उसका विक्रय करके प्राप्त बचत धन राशि से पुनः कच्चा माल लिया जायेगा इस प्रकार से यह प्रक्रिया बिना किसी अतिरिक्त बोझ के चलती रहेगी।

बच्चों के लिए सामग्री का विकास –

पाठ्य–पुस्तकों के साथ ही पूरक सामग्री विकसित की जाएगी। जिसमें स्थानीय उपलब्ध विशेषज्ञों जनपद स्तर की विभूतियों, भौगोलिक, ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी आदि हो सकती है।

कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना –

ग्राम शिक्षा समितियों का गठन के माध्यम से समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया गा है, ग्राम शिक्षा समिति की बैठकें नियमित नहीं हो पाती हैं। इनमें भी विद्यालय की ही समस्योंयें ही महत्वूपर्ण रहती हैं। बालकों की समस्याओं पर ध्यान कम जाता है। इस ओर भी ध्यान दिया जायेगां जिसे बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो सके। समय–समय पर अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से सूचित किया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण –

डायट, जाफरपुर, आजमगढ़ में भवन एवं छात्रावास पूर्व निर्मित है। यह दो मंजिला है इसका निर्माण 1996 में हुआ थ। भवन की छत तथा छात्रावास की मरम्मत की आवश्यकता है तथा खिड़िकियों की मरम्मत की आवश्यकता है।

डायट के लिए 200 मेज तथ 200 कुर्सी कक्षा–कक्ष क

लिए आवश्यकता है। छात्रावास के लिए 50 तख्त, 100 गद्दा, 100 कम्बल, तथ 100 तकिया, 10 बेडशीट की आवश्यकता है।

संस्थान के लिए एक फोटो कापियर की आवश्यकता है। संस्थान के पास कम्प्यूटर लैब की आवश्यकता है तथा एक प्रिन्टर की भी आवश्यकता है। संस्थान के पुस्तकालय के लिए फर्नीचर / आलमारियों की आवश्यकता है।

मद	आवश्यकता
नवीन भवन	कम्प्यूटर लैब, रीडिंग रूम, शौचालय
मंरम्मत / रख रखाव	डायट भवन एवं छात्रावास भवन की छत खिड़कियों की मरम्मत एवं प्रसाधन कक्ष का निर्माण
उपकरण / साज सज्ज	फोटो कापियर एक रंगीन टी.वी.
जनरेटर फोटो कापी	53 सेमी. , कम्प्यूटर – 1, प्रिन्टर – 1
	पर टेलीविजन
वी.सी.डी. / ए.सी.डी.	200 कुर्सी
प्लेयर कम्प्यूटर फर्नीचर	200 मेज, छात्रावास में 200 तख्त
	100 गद्दा, 100 चादर, 100 कम्बल, 100
तकिया ।	
पुस्तकालय	फर्नीचर–10 , कुर्सी , 50 मेज, 10 आलमी–02
उपकरण / साज--सज्जा –	

1–	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी–मेज	01.00	
2–	कम्प्यूटर डुप्लिकेटिंग मशीन,	03.00	
	योग –	04.00	

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1–	कियात्मक शोध / अध्ययन		2.00
2–	कार्यशालाएं / सेमिनार	2.00	
3–	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00	
4–	कान्टिजेन्सी	1.00	
5–	वाहन रख–रखाव / पी. ओ. एल.		1.00
	योग –	10.00	

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्राविधान किया गया है। कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री–विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीकी पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

3– वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बन्धी 03 दिवसीय प्रशिक्षण एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी एवं संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों के विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा तथा इसी अनुकम में विकास खण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठयकम तथा पुस्तको को आधार पर पाठों की प्रस्तुति पाठ योजना तथा

सम्बन्धिता सहायक सामग्री निर्माण हेतु 03 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालो अप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी तीसरे वर्ष 06 माह में इन इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। शिक्ष्ज्ञण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु कमशः बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय तथा एक दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षण प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रति दिन रू0 70=00 की दर से अनुमानतः रू0 10 लाख प्रस्तावित है।

इसी कम में चौथे वर्ष में हिन्दी भाषा शिक्षण की भी कार्यशालाए आयोजित की जायेगी, जो आठ दिवसीय होगी। तथा बी0आर0सी0 स्तरपर दो दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। चौथे एवं पांचवें वर्ष में भी आयोजित कार्यशालाएं हेतु अनुमानित रू0 10 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रशिक्षण की आयोजित किये जायेंगे। जिनका विवरण इस प्रकार है।

1– कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रस्ताव –

बच्चों में कम्प्यूटर सम्बन्धी ज्ञान देने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षणकोंका प्रशिक्षण डायट स्तर पर होगा। जिसमें डायट के सदस्यों की एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसके बाद उच्च प्राथमिक शिक्षकों को एक माह का प्रशिक्षण डायट पर होगा। डायट स्तर पर 30 अध्यापकों व अधिकारियों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण होना है।

1 एस0 एस0 ए0 के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है । जनपद आजमगढ़ में 6–14 वर्ष के सभी बालक / बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनपयोगी ताकि गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है । जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवत्रन करके तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके । कार्यक्रम इस प्रकार है।

2

3 6–14 वर्ष वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल ई0 जी0 एस0 केन्द्र , वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लगाया जायेगा ।

4 सभी बच्चे पांच वर्ष की शिक्षा पूरी करें और यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जाय।

5 सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त कर लिया जायेगा ।

6 गुणवत्तापरक शिक्षा ही प्रदान किया जाये।

7 प्राथमिक स्तर पर बालक / बालिकाओं , समुदायों और समूहों के मध्य अन्तर को 2007 तक तथा समग्र प्रारम्भिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा ।

8 लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों की स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इसे पूर्ण करने के लिए जनपद, विकास खण्ड , न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। शिक्षकों के लिए विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया

जायेगा। इस प्रकार का आयोजन शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण मे सहायक सिद्ध होगा।

सारणी – 9.26

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का सम्वर्धन

पद	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01	—	01
उप प्राचार्य	01	0 —	01
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	0	06
प्रवक्ता	17	05	12
कार्यानुभव शिक्षक	01	01	—
तकनीकी सहायक	01	01	—
सांख्यिकीकार	01	0 —	01
प्रतिनियुक्ति पर तैनात प्राथमिक शिक्षक	—	—	–

संकाय के सदस्यों के कौशल विकास सम्बन्धी विवरण –

संकाय के सदस्यों को कुछ क्षेत्रों मे प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। जिससे प्रशिक्षण आदि के आयोजन में सुविध हो सके।

1 समेकित शिक्षा हेतु संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

2 कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाना ।

3 लाइबेरी संचालन व्यवस्था हेतु एक सदस्य को प्रशिक्षित किया जाना ।

4 शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने हेतु प्रशिक्षण ।

5 कियात्मक शोध सम्बन्धी प्रशिक्षण ।

6 मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों / टेस्ट के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण ।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार / प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का कियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम में सफलतापूर्वक कियान्वयन में विकास खण्ड न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के कियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्य क्रमों का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर प्युक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उस जनपद तथा अन्य स्तरो पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करेन और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट काय निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू0 10000 / – की दर से तथ प्रत्येक विकास खण्ड मे एक एन.पी.आर.सी. को रू0 7000 / – की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार विकास खण्ड मे से काय निष्पादन के आधार पर चयनित 2 ग्राम शिक्षा समितियो को कमशः रू0 15000 /– तथा रू0 10000 /– की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसारविद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षको को नवाचार के लिए प्रेरित करने के लिए पठन–पाठन कके उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करेन की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों का चुनकर प्रत्यक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापकों को

पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू0 5000 /– प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी. , एन.पी.आर.सी.समन्वयको व शिक्षकों के ज्ञान–अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण / एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता शैक्षिक सत्र में 2 बार छः माह परीक्षा के बाद दिसम्बर एवं वार्षिक परीक्षा के बाद मई में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे। जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगें। इस आशय पर एक वर्ष में रिपोर्ट काय वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों में चर्चा की जायेगी।

---

7 एस0 एस0 ए0 के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है । जनपद आजमगढ में 6–14 वर्ष के सभी बालक / बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनपयोगी ताकि गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है । जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवत्रन करके तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके । कार्यक्रम इस प्रकार है।

8

9 6–14 वर्ष वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल ई0 जी0 एस0 केन्द्र , वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लगाया जायेगा ।

10 सभी बच्चे पांच वर्ष की शिक्षा पूरी करें और यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जाय।

11 सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त कर लिया जाएगा ।

12 गुणवत्तापरक शिक्षा ही प्रदान किया जाये।

13 प्राथमिक स्तर पर बालक / बालिकाओं , समुदायों और समूहों के मध्य अन्तर को 2007 तक तथा समग्र प्रारम्भिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा ।

14 लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों की स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इसे पूर्ण करने के लिए जनपद, विकास खण्ड , न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। शिक्षकों के लिए विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा। इस प्रकार का आयोजन शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण मे सहायक सिद्ध होगा।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण – प्रथम वर्ष पाठ्यपुस्तकोंपर प्रति माह 08 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापको और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा, जिनका विवरण इस प्रकार है।

वेजानिंग कार्यशालाएं – तीन दिवसीय – एन0पी0आर0सी0 स्तर पर ।

बहु कक्ष शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक –एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं – एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

मैटेरियल मेला -- एक दिवसीय एन.पी.आर.सी. स्तरपर ।

विकारा खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालाअेप के अन्तर्गत एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ्यपुस्तकीकरण पर केन्द्रित होगी। इनका प्रशिक्षण डायट स्तर पर कार्यक्रम तैयार कर तथा एजेण्डा के आधार पर उउपलब्ध कराया जायेगा। एम0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षपणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भ किया जायेगा तथा डायट द्वारा इनका नियमिति पर्यवेक्षण किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणो पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70=00 की दर से व्य अनुमानित है। द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार भाषा और गणित की विषय वस्तु आधारित तथा बहु कक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 07 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा, जिसका विवरण इस प्रकार है –

बहु कक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर 03 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण साम्रग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 07 महिनों में आयोजित होंगें। इसमें बी0आर0सी0 स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।

अध्याय – 10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण :–

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी । वर्ष 2001 से 2010 तक की अवधि में 6–14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिए जाने की आवश्यकता है । प्रबन्धन पूर्णरूपेण लोकतांत्रिक होगा और प्रयास होगा की यह अधिकतम पनसहभागिता सुनिश्चित कर सकें ।

प्रबन्धतंत्र – संवेदनशील और लचीली प्रणाली :–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है ।

संगठनात्मक ढांचा–निति निर्धारण :–

ग्राम शिक्षा समिति :– ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं –

1. ग्राम प्रधान अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का सचिव ज्येष्ठतम प्रधानाध्यापक
3. विद्यालय के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक महिला होगी) जो स0 बे0 शि0 अ0 द्वारा नामित होंगे । सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :–

(क) बेसिक स्कूलों के नि पादन हेतु प्रशासन नियंत्रण एवं प्रबन्धन करना ।

(ख) स्कूलों के विकास प्रसार आदि सुधारने के लिए योजनाएं तैयार करना ।

(ग) स्कूलों के भवनों और उपकरणों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना ।

(घ) बेसिक स्कूल के अध्यापकों और अन्य कमचारीयों के नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना ।

(ड़) विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों को लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ।

ग्राम शिक्षा समिति निति निर्धारण के समय दो मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप कार्य करती रहेगी । जिसमें मुख्यतः भवन–निर्माण तथा शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति सम्मिलित है, इसके अतिरिक्त ई. जी. एक. और ए. एस. ई. की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्र व इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है । शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ सभी के मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा । छात्रवृत्ति, पोषाहार तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा ।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र :–

इस जनपद में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का परिसीमन किया जा चुका है । इन्हें सुसज्जित करने के समय दो संकुल प्रभारितयों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

कार्य एवं दायित्व :—

क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है, जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी । क्षेत्र पंचायत स्तर गठित समिति में निम्न लिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैं :—

1.	ब्लाक प्रमुख	—	अध्यक्ष
2.	स0 बे0 शि0 अ0 / प्र0 उ0 नि0	—	सदस्य / सचिव
3.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	—	सदस्य
4.	विकास खण्ड का एक वरि ष्ठतम प्र0 अ0	—	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :—

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र में समन्वय स्थापित करना । जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अर्न्तगत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना एवं अनुश्रवण करना होगा । इस समिति की प्रत्येक माह में एक बैठक अनिवार्य रूप से होगी ।

प्रशासनिक संगठन—ब्लाक स्तर :—

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक स0 बे0 शि0 अ0 / प्र0 उ0 वि0 निरिक्षक कार्यरत हैं, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे । ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा। स0 बे0 शि0 अ0 पदेन

विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे । सार रूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे –

1 सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।

2 विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना ।

3 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना ।

4 ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना ।

5 ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आँकड़े एकत्रित कर संकलित करना ।

6 सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना ।

7 खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना ।

8 विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0 जा0 / जन0 जा0 के सभी बालक /बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना ।

9 विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणतत्ता में सुधार लाना ।

10 विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक – छात्र अनुपान बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना ।

11 ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना ।

12 अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना ।

ई. जी. एस. तथा ए. आई. ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई. जी. एस. एवं ए. आई. ई. केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरणएवं

कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे ।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी । वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे । इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख–रखाव हेतु नियत धनराशि 18000/– (प्रति वर्ष विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है । उन्हें ई. जी. एस. / ए. आई. ई. योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी. आर. सी. सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा ।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी. आर. सी.) –

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है । परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित हैं । यहां समन्वयक सभी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए, प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह–समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं

सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण से सहायता करेंगे ।

शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु रखा गया है कि बी. आर. सी. समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है । अतः प्रत्येक बी. आर. सी. को एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है । जिसके लिए प्रत्येक बी. आर. सी. एक लाख रूपये का प्रतिधान किया जा रहा है किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा ।

कार्य एवं दायित्व :–

अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना ।

विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं ।

विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आकलन एवं संकलन करना शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना ।

ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना ।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना ।

ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना ।

विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराईज्ड विवरण तैयार करना ।

ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एक एकत्रीकरण व रोम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना ।

जनपद स्तरीय समिति :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिए जिलास्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है, जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं।

समिति का गठन निम्नवत है :–

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य / सचिव
प्राचार्य डायट	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
वित्त एवं लेखाधिकारी (बे0 शि0)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (आई. ई. एस.)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (पी. डब्लू. डी.)	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
दो शिक्षा विद्(विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय)	सदस्य
जिलाधिकारी द्वारा नामित	
दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिए)	
दो शिक्षक (राष्ट्रीय / राज्य पुरस्कार प्राप्त)	

स्वैक्षिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :–

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है । जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है । रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में इसके निर्णय प्रभावी होंगे । प्रवेश-धारण, गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण के लिए तकनीकि पर्यवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार प्रसार के लिए सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जोयेंगे । यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देशन के लिए जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी । जनपद में ई. जी. एस. / ए. आई. ई. से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा ।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :–

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है :–

1. जिला पंचायत अध्यक्ष — अध्यक्ष
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी — सदस्य / सचिव
3. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन) — पदेन सदस्य
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी — पदेन सदस्य

5. जिला विद्यालय निरीक्षक पदेन सदस्य

6. अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) पदेन सदस्य
यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति
में विद्यालय उप निरीक्षक ।

7. तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों सदस्य
में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये
जायेंगे ।

8. विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) सदस्य
जो समिति का सहायक सचिव होगा ।

जिला बेसिक शिक्षा समिति परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी :–

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना ।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना ।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास प्रसार–सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिए स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी ।

प्रशासनिक तन्त्र – जिला परियोजना कार्यालय :–

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना अधिकारी

2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी 1 प्रतिनियुक्ति पर
(ई. जी. एस./ए. आई. ई.)

3.	समन्वयक	5 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2 रू0 10,000/–नियत वेतन प्रति पद
5.	इ. एम. आई. एस. अधिकारी	1 रू0 10,000/– नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक	3 रू0 7000/– नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1 प्रतिनियुक्ति पर
8.	लेखाकार	1 प्रतिनियुक्ति या नियत वेतनमान पर
10.	आशुलिपिक	1 प्रतिनियुक्ति या नियत वेतनमान पर
11.	लिपिक	1 प्रतिनियुक्ति या नियत वेतनमान पर
12.	परिचारक	1 प्रतिनियुक्ति या नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना के सस्टेनिविलिटि प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है । उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे । जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक

शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे । परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी । निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा । जिसके लिए उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा । वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू0 1000 प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर से अनुमन्य हैं। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नही दिया जायेगा । यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा । तीन वर्ष बाद मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा ।

एजुकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम (ई. एम. आई. एस.)–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमो के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ एवं क्रियाशील एम. आई.एस. स्थापित किया जायेगा । बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम. आई . एस. स्थापित किया जायेगा । बेसिक शिक्षा

परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम. आई. एस. डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायट साफटवेयर स्थापित है । तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है । वर्ष 1997 98 से वर्ष 2.000 2001 तक के शैक्षिक आकडे उपलब्ध है । उक्त प्राथमिक स्तर के लिए साफट्वेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानु सार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी । इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा केक अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है । उससे शिक्षा गारन्टी योजना वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षायोजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण आंकडो का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा । इन दोनो कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एवं उपयुक्त ई. एम. आई.एस. तथा प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा ।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिए स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई. एम. आई. एस. के संचालनार्थ एक ई.एम.आई.एस. अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स सांख्यिकी सहायक रखे जायेगे । जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सकें और जिला परियोजना कार्यालय अपने स्तर पर ही ई. एम. आई. एस. के विभिन्न महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार कर सकें । वस्तुत जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडो के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा । जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा ।

ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व–

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई. एम.आई. एस. अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे ।

(1) विधालय हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना ।

(2) समय से फील्ड स्टाफ बी.आर.सी. समन्वयक एन.आर.पी. समन्वयक प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित करना ।

(3) माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विधालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना ।

(4) भरे हुए प्रपत्रो की सैम्पूल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो अभिलिखित करना ।

(5) समयबद्ध रूप में दिसम्बर 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना ।

(6) संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई. एम. आई.एस. रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारीयों को उपलब्ध कराना ।

(7) सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों कार्यशालाओं में
प्रतिभाग करना ।

(8) माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटर विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत प्रेषित करना ।

ई. एम. आई. एस. अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही साख्यिकी विश्लेषण प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा ।

प्रशिक्षण–

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेंतु आपरेटर प्रधानाध्यापक सकुल प्रभारी बी. आर. सी. समन्वयक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई. एम. आई. एस. सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने संकलन विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी । इसके अतिरिक्त विघालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेंम्पल चेकिंग के लिए भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडो की शुद्धता की जांच हो सके ।

(1) ई. एम. आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी सभी समन्वयक स्टाफ कम्प्यूटर आपरेटर लेखा स्टाफ़ प्रशिक्षण प्राप्त करेगे।

(2) ई. एम. आई.एस. का प्रशिक्षण(ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति अप विद्यालय निरीक्षक एवं बी.आर. सी. समन्वयक सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें ।

(3) ई. एम. आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन.पी.आर.सी. समन्वयक सह समन्वयक तथा सभी विद्यालायों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें ।

(4) ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंट स्तर पर)

एस.पी.ओ. सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी.पी.ओ. एवं बी.आर.सी. के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेगें । प्रथम तीन दिन ई.एम.आई.एस. प्रबन्धन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

आंकडो का एकत्रीकरण तथा शुद्वता की जांच–

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनो के लिए नीपा नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकडो को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0 एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी । प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुए प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है । अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्व करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा ।

आंकडो का उपयोग–

ई0एम0आई0एस0 आंकडो के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे जी0 ई0 आर0 एन0 ई0 आर0 ड्राप आउट दर रिपीटेशन दर छात्र अध्यापक अनुपात कक्षा कक्ष अनुपात एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें । इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा ताकि बार बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश संशोधन किया जा

सके । डायस के अन्तर्गत ई0एम0 आई0 एस0 से प्राप्त आंकडो से स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है । और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलो के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आकडों के आधार पर नही हो पाता है ।अत यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईकोप्लानिग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडो तथा ई0 एम0 आई0 एस0 से प्राप्त ओकडो का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्य कमों का समावेश संशोधन अभीष्ट होगा । ई0 एम0 आई0 एस0 एवं माइकोप्लानिंग के आंकडो का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगा ।

(1) नवीन विधालयो हेतु बस्तिगो की पहचान ।

(2) शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण

(3) छात्र संख्या में वृद्वि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान ।

(4) एकल अध्यापकीय विधालयों का चिन्हीकरण ।

(5)छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विधालयों की पहचान।

(6) बालिकाओं के कमनामाकन वाले विधालयों व न्याय पंचायतो का चिन्हीकरण ।

(7) निशुल्क पाठ्यपुस्तको के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आकलन ।

(8) अवस्थापना सम्बन्धि मांग का आकलन व निर्धारण ।

(9) शिक्षको का विवरण ।

(10) विभिन्न स्तरो पर विधालयों निरीक्षक का रोस्टर ।

(11) विकलांगतावार आंकडो के अनुसार उपकरणो की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ।

ई0 एम0 आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सुचनाओ का उपयोग सम्बन्धित विकास क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यकमो के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में कियाजायेगा जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा ।

कोहार्ट स्टडी–

छात्र छात्राओं के ठहराव में वृद्वि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप आउट दर ज्ञान करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी । स्टडी वाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा । यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पृथक पृथक से की जायेगी । एक स्टडी की अनुमानित लागत रू02 लाख रखी गयी है ।

प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इनफोरमशन सिस्टम–

एम0 आई0 एस0 के द्वारा जनपद में परियाजनाओ कार्यकमो के कियान्वयन की भौतिक एव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमो में प्रगति धी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यकम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति कों बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी ।
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अर्न्तगत एल0 ए0 सी0 आई0के अर्न्तगत कम्प्युटराइज्ड वित्तीय प्रबधन प्रणाली विकसित की जा रही है जिसे सर्व शिक्षा

अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा जिसके लिए भी एम0आई0 एस0 प्रयोग में लाया जायेगा ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सस्थान–

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर परपूर्व से ही जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है । जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ किया गया है । सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृटि कोण रखते हुए इसका और अधिक सुदृढ किया जायेगा परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होगे :–

विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर / सन्दभे व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना ।

राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिए डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना ।

ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों , शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना ।

जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान और उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों / निष्कर्षों की जानकारी सर्वसंबन्धित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किये जा सकें ।

जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना , उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार तथा अध्यापकों को मार्ग दर्शन देना ।

ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया–कलापों का निर्देशन एवं नियंत्रण करना ।

जिले स्तर पर अनय विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना ।

जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह गठन करना ।

न्यूनतम अधिकतम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना ।

शैक्षिक आकड़ों (ई0 एम0 आई0 एस0) के माध्यम से संकलिए का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना ।

शिक्षकों , समन्वयकों , ई0 सी0 सी0 ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों , ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों , निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड) :–

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा । सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एवं उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए अवमुक्त की जायेगी । प्रशिक्षण , आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0 आर0 सी0 एवं एन0 पी0 आर0 सी0 को उपलब्ध करा दी जायेगी । निर्माण , वैकल्पिक शिक्षा आदि उनय कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे – ग्राम शिक्षा समिति , स्वंय सेवी संस्थाओं , अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकरी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा । सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रस्तापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है । अतः रू0 5000/– मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है । इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है । डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकरी / कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा । व्लाक संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है । जिसका परिचालन उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है । वित्तीय संदर्शिका में लेखा–जोखा रखने के लिए वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित है । परचेज एवं प्रोक्योरमेन्ट के नियम भी इसी संदर्शिका में निर्धारित किये गये हैं , जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी । समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय –समय पर रिफेशर कोर्स भी आयोजित किये जोयेगे , परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है । जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित है । जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा । सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी ।

फन्ड फ्लो डायग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

1. बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0

बी0आर0सी0

एवंएन0पी0आर0सी0

2. ग्राम शिक्षा समिति

3.अध्यापक

4.स्वयं सेवी संस्था आदि

सम्प्रेक्षण व्यवस्था :–

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे – जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण

(इन्डिपेन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा । यह कार्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफैरेन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा । राज्य सरकार / भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार उ0 प्र0 , इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा ।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय समय पर आंतरिक सम्प्रक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था होगी ।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना :–

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उददेश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी , जिला समनवयकों , सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों , प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी0आर0 सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयेजित की जायेंगी जिसमें योजना कार्यों को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विश्लेषण में चर्चा की जायेगी एवंउसके सीमीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा । इसी प्रकार प्राचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0 आर0 सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाइयों पर फीड बैक प्राप्त किया जोयगा । राज्य स्तरीय निवेश्य की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे । साथ ही समय समय पर

पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यालाओं के माध्यम से भी योजना को सम्बाक्त किया जाता रहेगा और कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा ।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी0 एम0 आई0 एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा । वार्षिक ई0 एम0 आई0 एस0 डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास उपनायें जोयेंगे ।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों , प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंग

.....

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - AZAMGARH

(Rs. In Thousand)

S.No.	Head	Spillover Physical	Spillover Financial	Approved Fresh Proposals 2003-04 Unit Cost	Approved Fresh Proposals 2003-04 Physical	Approved Fresh Proposals 2003-04 Financial	Total Proposals Physical	Total Proposals Financial	Remark
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	BRC					-	0	0.00	
1	Co-ordinator (1 No.) @ 9 for 12 Months			9.00		0.00	0	0.00	12 Month
2	Furniture fixture & Equipments			10.00		0.00	0	0.00	
3	Travelling Allowance & Meeting			6.00	22	132.00	22	132.00	
4	Maintenance of equipments			0.00	0	0.00	0	0	
5	Maintenance of building			0.00	0	0.00	0	0	
6	TLM			5.00	22	110.00	22	110.00	
7	Contingency			12.50	22	275.00	22	275.00	
	TOTAL BRC	0	0.00		66	517.00	66	517.00	
(II)	CRC						0	0.00	
8	Furniture fixture & Equipments			5.00		0.00	0	0.00	
9	Salary Cordinator @12 for 12 Months					0.00	0	0.00	12 Month
10	TLM			1.00	280	280.00	280	280.00	
11	Contegency			2.50	280	700.00	280	700.00	
12	Meeting & TA			2.40	280	672.00	280	672.00	12 Month
	TOTAL CRC	0	0.00		840	1652.00	840	1652.00	
(III)	CIVIL WORKS						0	0.00	
13	New Primary School			259.00	53	13727.00	53	13727.00	Spill.Handover
14	New Upper Primary School	30	2040.00	280.00	70	19600.00	100	21640.00	Spill.Handover
15	Additinal Classrooms PS			70.00	0	0.00	0	0.00	
16	Additinal Classrooms UPS			70.00	8	560.00	8	560.00	
17	Toilets PS			10.00	0	0.00	0	0.00	
18	Toilets UPS			10.00	16	160.00	16	160.00	
19	Reconstruction PS			191.00	0	0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS			383.00	0	0.00	0	0.00	
21	Drinking Waters PS			15.00	0	0.00	0	0.00	
22	Drinking Waters UPS			15.00	0	0.00	0	0.00	
23	Repair PS			20.00	0	0.00	0	0.00	
24	Repair UPS			70.00	0	0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplaining			250.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	30	2040.00		147	34047.00	177	36087.00	
(IV)	EGS (.845*25*No.of EGS Centres)			0.845	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL EGS	0	0		0	0.00	0	0.00	
(V)	AIE						0	0.00	
31	AIE (P.S.) (0.845x25xNo.)			0.845	0	0.00	0	0.00	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30xNo.)			1.20	44	1584.00	44	1584.00	
32.1	Bridge Course at NPRC level (0.845x40xNo.)			0.845	280	9464.00	280	9464.00	
33	Bridge Course (P.S.) (3.0x60xNo.)			3.000	1	180.00	1	180.00	
	TOTAL AIE	0.00	0.00		325.00	11228.00	325.00	11228.00	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00		325	11228.00	325	11228.00	
(VI)	FREE TEXT BOOKS						0	0.00	
34	Free Text Books PS			0.05	1050	52.50	1050	52.50	
35	Free Text Books UPS			0.15	38415	5762.25	38415	5762.25	
	TOTAL Text Book	0	0.00		39465	5814.75	39465	5814.75	
(VII)	IED						0	0.00	
	TOTAL IED	0	0.00	1.20	2486	2983.20	2486	2983.20	
	INNOVATIVE ACTIVITIES				0	5000.00	0	5000.00	
	TOTAL Computer Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCC				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL SC/ST Intervention				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00	0.00	0	5000.00	0	5000.00	
(XII)	MAINTENANCE						0	0.00	
[illegible]	P.S.			5.00	1730	8650.00	1730	8650.00	
[illegible]	U.P.S.			5.00	201	1005.00	201	1005.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00		1931	9655.00	1931	9655.00	
(XIII)	DPO						0	0.00	
	Management Cost	0.00	0.00			2410.00	0	2410.00	
(XIV)	RESEARCH, MONITORING & EVALUATION						0	0.00	
[illegible]	P.S.			1.40		0.00	0	0.00	
[illegible]	U.P.S.			1.40	231	323.40	231	323.40	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00		231	323.40	231	323.40	
(XV)	SCHOOL GRANT						0	0.00	
73	School Improvement Grants PS @ 2			2.00	26	52.00	26	52.00	
74	School ImprovementGrants UPS @ 2			2.00	381	762.00	381	762.00	
	Total School Grant	0	0		407	814.00	407	814.00	
(XVI)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03)						0	0.00	
75	Salary of Asstt Teacher PS			9.00	0	0.00	0	0.00	12 Mont
76	Salary of Asstt Teacher UPS			10.00	90	10800.00	90	10800.00	12 Mont
77	Salary of Additional Teachers PS			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Mont

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - AZAMGARH

(Rs. In Thousand)

S.No.	Head	Spillover Physical	Spillover Financial	Approved Fresh Proposals 2003-04 Unit Cost	Approved Fresh Proposals 2003-04 Physical	Approved Fresh Proposals 2003-04 Financial	Total Proposals Physical	Total Proposals Financial	Remark
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	... of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25			2.25	0	-0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2002-0	0	0.00		90	10800.00	90	10800.00	
[illegible]	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04)						0	0.00	
[illegible]	... of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)			9.00	53	2862.00	53	2862.00	6 Months
[illegible]	... of Asstt.Teachers' 2003-04 (U.P.S.)			10.00	210	12600.00	210	12600.00	6 Months
[illegible]	... of Additional Teachers (PS)			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
[illegible]	... of Fresh SM (PS)			2.25	53	715.50	53	715.50	6 Months
[illegible]	... of Fresh SM (PS) to improve PTR			2.25	1735	23422.50	1735	23422.50	6 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2003-0	0	0.00		2051	39600.00	2051	39600.00	
	TOTAL TEACHERS' SALARY	0	0.00		2141	50400.00	2141	50400.00	
[illegible]	TEACHER GRANT (TLM)						0	[illegible]	
[illegible]	... Grants PS @ 0.5			0.50	195	97.50	195	[illegible]	
[illegible]	... Grants UPS @ 0.5			0.50	2667	1333.50	2667	1333.50	
	TOTAL Teacher Grant	0	0.00		2862	1431.00	2862	1431.00	
[illegible]	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS						0	0.00	
[illegible]	... @10			10.00	53	530.00	53	530.00	
[illegible]	... @50	30	1500.00	50.00	70	3500.00	100	5000.00	
[illegible]	... UPS @50 Not covered under OBB	56	2800.00	50.00	0	0.00	56	2800.00	
	TOTAL Teaching Learning Equipments	86	4300.00		123	4030.00	209	8330.00	
[illegible]	TEACHER TRAINING						0	0.00	
[illegible]	... Training of SM for 30 days @ Rs.70/- per day			0.07	53	111.30	53	111.30	
[illegible]	... service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) for 20 days @ Rs.70/- per day			0.07	377	527.80	377	527.80	
[illegible]	... Teachers (UPS) for 15 days @ Rs.70/- per day			0.07	1317	1382.85	1317	1382.85	
	TOTAL Teacher Training	0	0.00		1747	2021.95	1747	2021.95	
[illegible]	STRENGTHENING OF VEC						0	0.00	
[illegible]	... Training @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons			0.48	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Strengthening of VEC	0	0.00		0	0.00	0	0.00	
XIII	EMIS CELL								
	TOTAL EMIS Cell	0	0.00			244.00	0	244.00	
[illegible]	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
	GRAND TOTAL		6340.00			132571.30		138911.30	

SARVA SHIKSHA ABHIYAN
AZAMGARH

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	53	13727	0	0	5	1280	0	0	58	15007
A2	New Upper Primary Schools	451	30	13530	70	19600	0	0	5	1400	0	0	105	34530
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	90	9000	90	10800	90	10800	90	10800	90	10800	450	52200
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	53	715.5	53	1311.75	58	1435.5	58	1435.5	222	4898.25
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	53	2862	53	5724	58	6264	58	6264	222	21114
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	210	12600	210	25200	225	27000	225	27000	870	91800
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	53	530	0	0	5	50	0	0	58	580
A8.2	UPS	50	50	2500	70	3500	0	0	5	250	0	0	125	6250
A9	TLE UPS not covered OBB	50	56	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	56	2800
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**27830**	0	**64334.5**	0	**43235.75**	0	**48679.5**	0	**45699.5**		**229779.25**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	160	3380	40	845	0	0	200	4225
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	AIE Primary including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0	0	0	0	50	1056.25	50	1056.25	50	1056.25	150	3168.75
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	44	1584	50	1800	100	3600	0	0	194	6984
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	50	3000	0	0	0	0	50	3000
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	280	9464	100	3380	100	3380	0	0	480	16224
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	10	153.5	10	153.5	10	153.5	30	460.5
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**27830.00**	0	**75562.50**	0	**56435.60**	0	**58144.25**	0	**47339.25**	**0**	**265311.50**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	49	9359	16	3056	22	4202	87	16617
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	0	0	5	1915	0	0	0	0	5	1915
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	600	42000	300	21000	238	16660	1138	79660
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	13	910	8	560	50	3500	25	1750	16	1120	112	7840
R4.1	Toilets Upper Primary	10	14	140	16	160	50	500	0	0	0	0	80	800
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	500	5000	300	3000	360	3600	1160	11600
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	104	1872	0	0	0	0	104	1872
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	25	450	0	0	0	0	25	450
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1730	8650	1819	9095	1819	9095	1824	9120	7192	35960
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	201	1005	201	1005	327	1635	327	1635	332	1660	1388	6940
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	6	576	123	11808	242	23232	371	35616
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1735	23423	173	4281.75	117	2895.75	119	2945.25	2144	33545.25
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	26	52	1819	3638	1824	3648	1824	3648	5493	10986
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	201	402	381	762	327	654	332	664	332	664	1573	3146
R12	**Promoting Girls Education**		0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	25	112.5	25	112.5	25	112.5	75	337.5
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	10	750	10	750	10	750	30	2250
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	50	200	50	200	50	200	150	600
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	25	625	25	625	25	625	75	1875
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	44	61.6	44	61.6	44	61.6	132	184.8
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	15	75	15	75	0	0	30	150
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	250	937.5	250	937.5	250	937.5	750	2812.5
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	250	375	250	375	250	375	750	1125
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	250	17.5	250	17.5	250	17.5	750	52.5
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	23000	64400	0	0	23000	64400	46000	128800
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	280	1400	280	1400	280	1400	840	4200
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	800	384	828	397.44	0	0	1628	781.44
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	44	1100	44	1100	44	1100	132	3300
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	44	220	44	220	44	220	132	660
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2212	0	0	5	333.5	5	333.5	5	333.5	15	3212.5
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	0	5000	10	600	10	600	10	600	30	6800
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	2146	5365	2146	5365	2146	5365	6438	16095
	RETENTION Sub Total		0	**5607**	0	**39611.5**	0	**204373.6**	0	**118344.79**	0	**193467.60**	**0**	**561404.49**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	53	111.3	5	10.5	127	266.7	141	296.1	326	684.6
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	150	315	0	0	6	12.6	143	300.3	242	508.2	541	1136.1
Q1.3	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	377	527.8	8030	11242	8149	11408.6	8266	11572.4	24822	34750.8
Q1.4	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) UPS	1.05	1077	1507.8	1317	1382.85	1635	1716.75	1650	1732.5	1650	1732.5	7329	8072.4
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	2347	3285.8	2466	3452.4	2583	3616.2	7396	10354.4
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	240	504	175	367.5	130	273	545	1144.5
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	66	46.2	66	46.2	66	46.2	198	138.6
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	280	196	280	196	280	196	840	588
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	110	154	110	154	110	154	330	462
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	30	10.5	30	10.5	30	10.5	90	31.5
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	0	2486	2983.2	5934	7120.8	6200	7440	6400	7680	21020	25224
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	1	2.5	1	2.5	1	2.5	3	7.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	8	16	8	16	8	16	24	48
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	195	97.5	10677	5338.5	10915	5457.5	11249	5624.5	33036	16518
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1227	613.5	2667	1333.5	1809	904.5	1824	912	1824	912	9351	4675.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	1050	52.5	326533	16326.65	338276	16913.8	350168	17508.4	1016027	50801.35
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	49358	7403.7	38415	5762.25	51000	7650	62000	9300	73000	10950	273773	41065.95
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	18190	2728.5	18190	2728.5	18190	2728.5	54570	8185.5
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	200	10	180	9	150	7.5	530	26.5
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1819	27285	1819	27285	1819	27285	5457	81855
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	327	2452.5	327	2452.5	327	2452.5	981	7357.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	280	7000	280	7000	280	7000	840	21000
	QUALITY Sub Total		0	**9840**	0	**12250.9**	0	**94013.3**	0	**97451.5**	0	**100572**		**314127.7**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	22	3168	22	3168	22	3168	66	9504
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	44	2904	44	2904	44	2904	132	8712
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	22	792	22	792	22	792	66	2376
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	22	220	22	220	22	220	66	660
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	22	132	22	132	22	132	22	132	88	528
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	22	44	22	44	22	44	66	132
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	22	220	22	220	22	220	66	660
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	22	110	22	110	22	110	22	110	88	440
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	22	110	22	110	22	110	66	330
C2.11	Contigency	12.5	0	0	22	275	22	275	22	275	22	275	88	1100
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	264	950.4	264	950.4	264	950.4	792	2851.2
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	23	115	23	115	23	115	69	345
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	280	40320	280	40320	280	40320	840	120960
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	280	1400	280	1400	280	1400	840	4200
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	280	280	280	280	280	280	280	280	1120	1120
C3.4	Contingency	2.5	0	0	280	700	280	700	280	700	280	700	1120	2800
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	280	672	280	672	280	672	280	672	1120	2688
C4	District Project Office/Management		24	924	0	2410	0	0	0	0	0	0	24	3334
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	11	1980	11	1980	11	1980	33	5940
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	23	414	23	414	23	414	69	1242
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	30	300	30	300	30	300	90	900
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	23	2760	23	2760	23	2760	69	8280
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	1819	2546.6	1819	2546.6	1819	2546.6	5457	7639.8
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	251	351.4	231	323.4	327	457.8	327	457.8	327	457.8	1463	2048.2
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	**1275.4**	0	**4902.4**	0	**62393.8**	0	**62333.8**	0	**62333.8**		**193239.2**
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	244	0	0	0	0	0	0	1	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	3	270	3	270	3	270	9	810
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	4	40	0	0	4	40	8	80
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**1276.4**	0	**5146.4**	0	**63127.8**	0	**63027.8**	0	**63067.8**	**0**	**195646.2**
	GRAND TOTAL		0	**44552.4**	0	**132571.30**	0	**417950.20**	0	**336968.34**	0	**404446.65**	**0**	**1336488.89**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **AZAMGARH**

	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	14580.0	34047.0	64596.0	31486.0	25582.0	170291.0
Management	351.4	323.4	9732.4	9692.4	9732.4	30076.0
Programme	29621.0	98200.9	343621.8	295789.9	369132.3	1136121.9
Total	**44552.4**	**132571.3**	**417950.2**	**336968.3**	**404446.7**	**1336488.9**
Percentage - Civil	**32.7**	**25.7**	**15.5**	**9.3**	**6.3**	**12.7**
Percentage - Management	**0.8**	**0.2**	**2.3**	**2.9**	**2.4**	**2.3**
Percentage - Programme	**66.5**	**74.1**	**82.2**	**87.8**	**91.3**	**85.0**
Percentage - Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**